

समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-04 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों हेतु ग्राम भांसी, तहसील-बड़ेबचेली, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा की निजी भूमि अधिग्रहण में भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016 के परिपेक्ष्य में समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं समाजिक समाघात प्रबंधन योजना

ग्राम का नाम :- भांसी
 प0ह0न0 :- 01 / भांसी
 तहसील :- बड़ेबचेली
 जिला :- दन्तेवाड़ा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
 बचेली

NO.
 YAMUNDA
 Basic Pack 11

Bamora
 SENIOR SCIENTISTS & HEAD
 Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

प्रस्तावना

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत कच्चे इस्पात की उत्पादन क्षमता 30 मिलीयन टन प्रतिवर्ष हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिवर्ष 437 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इस्पात संयंत्रों जैसे कि आर.आई.एन.एल., के.आइ.ओ.सी.एल., जे.एस.डब्ल्यू., छत्तीसगढ़ तथा समीपवर्ती राज्यों में स्थित इस्पात तथा स्पंज आयरन उद्योग, लौह अयस्क की कमी से जूझ रहे हैं। भविष्य में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की भारी मांग पैदा होगी, जिसकी आपूर्ति हेतु वर्तमान में मौजूद खदानों का विस्तारीकरण तथा नई खदानों को चालू करना होगा।

प्रस्तावित बैलाडिला लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 04 छत्तीसगढ़ के दंतेवाडा जिला में स्थित है। प्रभावित ग्राम भांसी एवं इसके आश्रित ग्राम पोरोकमेली तथा समीपस्थ ग्रामों में वर्तमान में उपलब्ध स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा, अधोसंरचना एवं रोजंगार के अवसर बहुत ही सीमित हैं। उक्त परियोजना के आने से विकासात्मक दर एवं अधोसंरचना के गुणांक में पड़ रहे सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव की चर्चा इस प्रतिवेदन में की गई है।

परियोजना से प्रभावित ग्राम पंचायत भांसी एवं इसके आश्रित ग्राम पोरोकमेली के समीपस्थ वन भूमि पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण/अंतराल वृक्षारोपण के माध्यम से करना होगा एवं परियोजना स्थल पर अन्य पर्यावरण हितैषी तकनीकी का उपयोग करना आवश्यक होगा। प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली तथा समीपस्थ ग्रामों के सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक स्तर पर व्यापक रूप से सुधार होने की प्रबल सम्भावनायें हैं।

2
द. परिक्षेत्र अधिकारी,
कमला


TAHSILDAR
Bade Barcheli


SENIOR SCIENTIST & HEAD
Kashi Vihar Kendra, Dantewada

प्रारूप-तीन
समाजिक समाघात निर्धारण प्रतिवेदन
(नियम 23)

1. परियोजना क्षेत्र की जनसंख्याकी का विवरण:-

- (क) कुल जनसंख्या - 1365 (एक) पुरुष - 722 (दो) महिला - 643
(ख) बच्चों की संख्या - 677 (एक) पुरुष - 344 (दो) महिला - 333
(ग) जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. -960 (दो) अ.जा.-0 (तीन) अ.पि.व. 76 (चार) अन्य- 329
(घ) धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू -1335 (दो) मुस्लिम -08 (तीन) सिक्ख -00
(चार) ईसाई - 22 (पांच) बौद्ध -00 (छः) अन्य -00

2. गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या - 326
3. वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या - 86
4. निराश्रित पेंशनरों की संख्या - 32
5. निरक्षर पुरुष एवं महिलाओं की संख्या : पुरुष 320 महिला 413
6. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन
7. प्रशासनीक संगठन
सचिव -1
पटवारी -1
ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी -1
रोजगार सहायक -1
हैण्डपंप तकनीशियन -1
फारेस्ट गार्ड -1
ग्रामिण उद्यान विस्तार अधिकारी -1
आंगनबाडी कार्यकर्ता -7
8. राजनितिक संगठन - सरपंच
9. सिविल सोसाइटी संगठन एवं सामाजिक सदस्य - नहीं
10. भूमि का उपयोग-
(एक) कृषि भूमि - 186 हे.
(दो) पडत भूमि - 77.65 हे. (2-5 साल पड़ती), 103.88 हे. (चालू पड़ती)
(तीन) सिंचित एक फसल भूमि - 1.570 हे.
(चार) सिंचित दुफसली भूमि- 1.570 हे.
(पांच) असिंचित भूमि - 183.40 हे.
11. भूमि का आकार-
(एक) लघु कृषकों की संख्या - 31
(दो) सीमांत कृषकों की संख्या - 44
(तीन) भूमिहीन कृषकों की संख्या - 43 दिर्घ कृषकों की संख्या - 10
(चार) सिंचित दुफसली भूमि - 1.57 हे.

वन परिक्षेत्र अधिकारी
बदेचेली

TAHSILDAR
Bade Bachel

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

- (पांच) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अधिकार धारण करने वाले व्यक्तियों की संख्या (तीन वर्ष या उससे पूर्व निवासरत व्यक्तियों की संख्या पृथक) - 105
12. पशुधन- (एक) पशुधन की संख्या - 1758
(दो) दुधारू पशुधन की संख्या - 225
 13. प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कार्य एवं रोजगार - कृषि एवं मजदूरी
 14. पलायन - रोजगार हेतु
 15. रोजगार में महिलाओं की भागीदारी - 60 प्रतिशत
 16. खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित
 17. अन्य स्थानीय रोजगार - देशी मशरूम संग्रहण, महुआ संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, हर्रा, बहेरा, चार, सल्फी रस, छिंद रस, ताड़ी रस एवं रोजगार गारंटी आदि।
 18. मजदूरी दर - 221/- रु.
 19. ऋण तक पहुँच - हॉ
 20. परिवहन एवं सड़क - उपलब्ध है।
 21. सिंचाई - ट्युबवेल से।
 22. बाजार तक पहुँच - सुगम रास्ता उपलब्ध - भांसी बाजार
 23. पर्यटन स्थल - निरंक।
 24. सहकारी संस्थाएँ - आदिम जाति सेवा सहकारी समेती मर्यादित भांसी
 25. रहन सहन-
(एक) धारणाएँ, सौंदर्यपक्वता मोह एवं अभिलाषा - सामान्य
(दो) गृह - कुछ ही घर पक्के हैं, अधिकाँश घर स्थानीय भूमि निर्माण सामग्री जैसे की मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, लोहे की शीट आदि का उपयोग करके बने हुए हैं।
(तीन) सामुदायिक एवं सिविल स्थान - ग्राम में सामुदायिक भवन, मेला स्थल, बाजार हाट स्थल उपलब्ध है।
(चार) धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थल - शिव मंदिर, आंगा देव - हूरूमारा एवं शीतला माता गुड़ी
(पांच) भौतिक अधोसंरचना (यथा जलआपूर्ति, सीवरेज सिस्टम इत्यादि) - जलआपूर्ति उपलब्ध
(छः) लोक सेवा अधोसंरचना (यथा विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनबाडी, लोक वितरण सिस्टम इत्यादि) - उपलब्ध
(सात) सुरक्षा, अपराध एवं हिंसा - दुसरे के साथ प्रेम भाव से जीवन निर्वाह कर रहे हैं और स्थानीय कानून और व्यवस्था सही है।

महत्वपूर्ण समाघात क्षेत्र

1. भूमि, जीविका और आय पर समाघात-
(क) रोजगार के स्तर और प्रकार - ग्राम में अधिकाँश जन कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है। रोजगार के साधन सिमित हैं।
(ख) अंतरीय परिवार रोजगार के तरीके - कृषि एवं मजदूरी
(ग) आय के स्तर - निम्न
(घ) खाद्य सुरक्षा - खाद्य सुरक्षा से लाभान्वित है, ग्राम में कुल गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड की संख्या 326 है।
(ङ) जीवन निर्वाह का स्तर - औसत से कम
(च) उत्पादक संसाधनों तक पहुँच और नियंत्रण - हॉ
(छ) जीविका के विकल्पों तक महिलाओं की पहुँच - हॉ

25
वन अधिकार अधिकारी

TAHSILDAAR
Bade Bachell

Senior Scientist
Koshi Viro's Kendra, Dantewada

2. भौतिक संसाधनों पर समाघात—
- (क) प्राकृतिक संसाधनों (यथा मिट्टी, वायु, जल, वन) पर समाघात — दबाव पड़ेगा एवं मिट्टीगोसन / क्षतिपूर्ति मेजर्स अपनाया जाये।
- (ख) जीविका के लिए भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव — दबाव पड़ेगा एवं मिट्टीगोसन / क्षतिपूर्ति मेजर्स अपनाया जाये।
3. निजी संपत्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात —
- (क) विद्यमान स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं की क्षमता — स्तर में वृद्धि होगी।
- (ख) गृह सुविधा की क्षमता — बढ़ेगी।
- (ग) स्थानीय सेवाओं की पूर्ति पर दबाव — कम होगा।
- (घ) बिजली व जल पूर्ति की पर्याप्तता, सड़के, सफाई व कचरा प्रबंधन प्रणाली — सुधरेगी।
- (ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप — संभावना बढ़ेगी।
- (च) विस्थापन का तनाव — परियोजना में पहले विस्थापन किया का प्रबंध किया जायेगा।
- (छ) निजी संपत्तियों जैसे बोरवेल इत्यादि पर समाघात — प्रभावित होंगे जैसे कि निजीमकान, पशु सेड तथा पेड़ पौधे।
4. स्वास्थ्य समाघात—
- (क) महिलाओं के स्वास्थ्य पर समाघात — उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी।
- (ख) वृद्धजनों के स्वास्थ्य पर समाघात — उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होंगी।
5. सांस्कृतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर समाघात—
- (क) स्थानीय राजनीति संरचना का रूपान्तरण — प्रभावित नहीं होंगे।
- (ख) जनसांख्यिकी परिवर्तन — परियोजना की शुरुआत होने से ग्राम एवं समिपस्थ लोगों की रोजगार मिलने से जनसंख्या में वृद्धि होगी।
- (ग) आर्थिक, पारिस्थितिक संतुलन में परिवर्तन — सुधार एवं बढोत्तरी की संभावना है।
- (घ) मापदण्ड, विश्वास, मूल्यों एवं सांस्कृतिक जीवन पर समाघात — प्रभावित नहीं होंगे।
- (ङ) अपराध एवं अवैध क्रियाकलाप — संभावनाएँ बढ़ेगी।
- (च) विस्थापन का तनाव — परियोजना में पहले विस्थापन किया का प्रबंध किया जायेगा।
- (छ) संयुक्त परिवारों के विखण्डन का समाघात — संयुक्त परिवारों के विखण्डन नहीं होगा।
6. चक्रीय परियोजना के विभिन्न चरणों पर समाघात— चक्रीय परियोजना नहीं है इस हेतु लागू नहीं होता।
- (क) पूर्व-सन्निर्माण चरण
- (ख) सन्निर्माण चरण
- (ग) प्रवर्तक चरण
- (घ) कार्य से हटाने वाला चरण
- (ङ) प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष समाघात
- (च) संचित समाघात (प्रश्न में परियोजना के चिन्हांकित समाघात क्षेत्रों को मिलाकर अन्य परियोजना के समाघात)

25
 वन परिक्षेत्र अधिकारी
 बतेली

NO
 TANSILDAR
 Bade Bacheli

Senior Scientist
 SENIOR SCIENTIST'S HALL
 Krishi Vignan Kendra, Dantewada

प्रारूप-चार

(नियम 23 (9) देखिये)

बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक - 4
परियोजना हेतु सामाजिक समाघात
निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात
प्रबंधन योजना

द.म. घोरडेकर अ.देवकार,
जिल्हा

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST - CHEAC
Krishi Vigyan Kendra, Jamnawade

अध्याय 1 - कार्यकारी सार

(क) परियोजना और लोक प्रयोजन :-

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत 2030-31 तक 30 मिलीयन टन इस्पात उत्पादन हासिल करने का लक्ष्य रखा है इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को लगभग 437 मिलियन टन लौह अयस्क की आवश्यकता होगी। देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इस्पात संयंत्रों जैसे कि आरआईएनएल, केआइओसीएल, जेएसडब्ल्यू, छत्तीसगढ़ तथा समीपवर्ती राज्यों में स्थित इस्पात तथा स्पंज आयरन उद्योग लौह अयस्क की कमी से जूझ रहे हैं। भविष्य में उच्च ग्रेड के लौह अयस्क की भारी मांग पैदा होगी, जिसकी आपूर्ति हेतु वर्तमान में मौजूद खदानों का विस्तारीकरण तथा नई खदानों को चालू कर करना होगा।

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। बैलाडीला लौह अयस्क क्रमांक - 4 का विकास भी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड के द्वारा किया जाना है।

इस परियोजना के प्रारंभ होने से यह एक राष्ट्रीय हित की परियोजना साबित होगी, तथा इस परियोजना के शुरु होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान होगा, जिससे कि राष्ट्र तथा राज्य के लौह अयस्क खनन क्षेत्र में यह एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अतिरिक्त परियोजना में हजारों की संख्या में कामगारों की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप व्यापक स्तर पर नवीन रोजगारों का सृजन होगा तथा अनुषंगी उद्योगों के लिए भी इस क्षेत्र में काम के अवसर पैदा होंगे। इस परियोजना के शुरु होने से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के प्रभावित परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों तथा सर्वांगीण जीविका मानकों में सुधार होगा।

(ख) स्थान :- ग्राम-भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाडा।

(ग) भूमि अर्जन का आकार और विशेषता :-

क्र.	ग्राम	प्रभावित रकबा हेक्टेयर में	विशेषता
1.	भांसी	11.265	(निजी राजस्व भूमि - 4.831 हेक्टेयर एवं आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रक धारी की भूमि - 6.434 हेक्टेयर) बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषंगी गतिविधियों यथा स्क्रिनिंग संयंत्र, लोडिंग संयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु प्रस्तावित।
	कुल	11.265	

25
वन परिक्षेत्र अधिकारी।

TAHSILDAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST
Krishi Vignana Kendra, Dantewada

(घ) अनुकल्पों पर विचार :- पूर्व में किए गए पूर्ववर्ष/अन्वेषण के अध्ययनों के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क निकाय क्रमांक - 4 में लगभग 109.01 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार है। खनन एक "स्थान विशिष्ट" कार्य है तथा खनन केवल वही किया जा सकता है जहां अयस्क के भंडार मौजूद हैं। खनन पश्चात आर ओ एम को विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए लोडिंग संयंत्र तक पहुंचाने के लिए डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तथा लोडिंग प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सभी संयंत्र मूलतः एक सीधी सीमा रेखा में होने चाहिए। चूंकि खनन पट्टा क्षेत्र पूरी तरह से वन क्षेत्र में ही स्थित है, उपरोक्त वर्णित अनुषंगी गतिविधियों के स्थापना हेतु इंजीनियरिंग डिजाइन की उपयुक्तता के अनुसार क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां, मौजूदा रेलवे लाइन से समीपता, ग्राउंड प्रोफाइल इत्यादि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वन क्षेत्र को शामिल करते हुए निम्नलिखित विकल्प तलाशे गए -

I. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 के खनन पट्टे के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर: इस दिशा में पाया गया कि बुनियादी ढांचे के लिए यह पूरी तरह से वन भूमि है और कोई रेलवे कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में संयंत्र स्थापित करने से डाउनहिल कन्वेयर, लौह अयस्क के भंडार के बीच से गुजर रहा है जिससे कि अयस्क के भंडार अवरुद्ध होने की संभावना है, जो कि भारत सरकार के खनिज संरक्षण हेतु बनाये गए नियमों के विरुद्ध होगा।

II. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 के खनन पट्टे के दक्षिण पूर्व दिशा की ओर: इस दिशा में पाया गया कि प्रस्तावित डाउनहिल कन्वेयर को स्थापित करने से, कन्वेयर को लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 को पार करना होगा जिसके कारण लौह अयस्क निकाय क्रमांक 10 के लौह अयस्क के भंडार के भी अवरुद्ध होने की संभावना है। यह पथ गैर डायवर्सन के लिए प्रस्तावित "ट्री फर्न" क्षेत्र को भी पार कर रहा है। एक और बाधा यह है कि इस विकल्प के चयन से बचेली में वर्तमान में स्थित लोडिंग प्लांट की वजह से, परियोजना क्रमांक 4 के लिए प्रस्तावित लोडिंग प्लांट के लिए उपलब्ध स्थान सीमित हो जाता है।

III. बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 के खनन पट्टे के उत्तर पूर्व दिशा की ओर: इस दिशा में अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि इस दिशा में मौजूदा के रेलवे लाइन के समानांतर होने की वजह से यह दिशा अनुषंगिक संयंत्रों हेतु उत्तम प्रतीत होती है। इस दिशा में डाउनहिल कन्वेयर, स्थापित करने हेतु आगे और तीन विकल्प तलाशे गए जिनकी चर्चा नीचे की गई है -

a. इस विकल्प में डाउनहिल कन्वेयर गैलरी प्रस्तावित करने से कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 3, निक्षेप क्रमांक 6, निक्षेप क्रमांक 7, निक्षेप क्रमांक 8 एवं निक्षेप क्रमांक 9 को पार नहीं कर रहा है तथा किसी भी निक्षेप में कोई अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। यह पथ, कन्वेयर गैलरी के लिए वांछित ढाल भी दे रहा है, तथा मौजूदा पुरानी सड़क को पहुंच मार्ग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इस पथ में कन्वेयर गैलरी की लंबाई 7692 मीटर आ रही है, तथा खनन पट्टे के बाहर डायवर्सन हेतु वन क्षेत्रफल 100.077 हेक्टेयर की जरूरत है जो कि सभी विकल्पों में सबसे न्यूनतम है।

b. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 10 के क्षेत्र को पार कर रही है, जिससे कि इस निक्षेप की अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ

वन परिक्षेत्र अधिकारी

NO
TAHSILDAR
Bade Bachel

SENIOR SCIENTIST (G-1)
Krishi Vignyan Kendra, Dantewada

का चयन करने से नई पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8602 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 102.391 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

c. इस पथ का चयन करने से डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, लौह अयस्क निक्षेप क्रमांक 7 तथा निक्षेप क्रमांक 8 को पार कर रही है जिससे कि इस निक्षेप क्रमांक 7 तथा 8 के अवरुद्ध होने की संभावना है। इस पथ का चयन करने से नयी पहुंच मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा तथा कन्वेयर गैलरी की लंबाई 8652 मीटर आ रही है तथा खनन पट्टे के बाहर 101.241 हेक्टेयर वन क्षेत्र के डायवर्सन की आवश्यकता होगी।

उपरोक्त सभी विकल्पों का अध्ययन करने के पश्चात यह पाया गया कि खनन पश्चात अनुषांगिक गतिविधियों (डाउनहिल कन्वेयर गैलरी, स्क्रीनिंग प्लांट तथा लोडिंग प्लांट) हेतु न्यूनतम वन क्षेत्र तथा राजस्व क्षेत्र को शामिल करते हुए एक ही सीमा रेखा में स्थापित करने हेतु सभी विकल्पों में से विकल्प क्रमांक iii (a) ही सर्वोत्तम है।

यदि परियोजना के लिए प्रस्तावित आधारभूत संरचना अन्यत्र कहीं दूसरी जगह स्थापित की जाती है तो लोडिंग प्लांट की दिशा, मौजूदा के रेलवे लाइन के समीप / समानांतर नहीं होगी तथा यह स्क्रीनिंग प्लांट की सीमा रेखा में नहीं आएगा, तथा इंजीनियरिंग डिजाइन के मुताबिक वांछित ढाल जो इस पथ में प्राकृतिक रूप से निहित है नहीं मिलेगी एवं अतिरिक्त वन भूमि/राजस्व भूमि की भी जरूरत पड़ेगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए एवं खनन के एक "स्थान विशिष्ट" कार्य होने के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि परियोजना के लिए अनुकूली क्षेत्र (दूसरा) क्षेत्र उपलब्ध नहीं है। यह भी पाया गया की अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित भूमि इस परियोजना के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि है और विकल्प में कोई बंजर भूमि जिसमें पड़त भूमि सम्मिलित है, परियोजना हेतु उपलब्ध नहीं है।

(ड) सामाजिक समाघात :- ग्राम-भांसी में भूमि अधिग्रहण किया जाना है जिस हेतु सामाजिक समाघात का अध्ययन कर आंकलन किया गया है। इस अध्ययन में मुख्यतः भूमि, जीविका और आय पर समाघात, भौतिक संसाधनों पर समाघात, निजी संपत्तियों एवं लोक सेवाओं और उपयोगिताओं पर समाघात के निर्धारण पर बल दिया गया है। अध्ययन में प्रमुखता से यह बात निकल कर आई की प्रभावित ग्रामीण अपने विस्थापन के स्थल को लेकर चिंतित हैं एवं इस बात पर बल दे रहे हैं कि उनका विस्थापन गाँव की सीमा के अंदर ही कहीं पर किया जाए। दूसरी बात यह भी निकल कर आई की ग्रामीण अपने लघु वनोपज संग्रह एवं रोजगार की संभावनाओं को ले कर भी चिंतित हैं। इसके साथ ही अधिकांश ग्रामीण परियोजना को ले कर उस्ताहित भी हैं एवं उनका ये मानना है की परियोजना के आने से हर ग्राम निवासी किसी ना किसी प्रकार से लाभान्वित होगा।

(च) कमी करने के उपाय :- सीमित विकल्पों के बावजूद इस बात का पुरा ध्यान रखा गया है कि न्यूनतम भूमि अधिग्रहण किया जाये और इस वैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 क्षेत्र का रेखांकन इस नीति के अनुसार किया गया है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है अतः अपव्यय रोकने हेतु भूमि की आवश्यकता को यथासंभव परियोजना निर्माण के अनुरूप रखा गया है, प्रस्तावित खनन पश्चात निर्माण योजना क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों की मुख्य बस्तियों को अधिग्रहण से बाहर रखा गया है।

परियोजना की मूल संरचना में खनन क्षेत्र के बाहर अनुषंगी गतिविधियों के लिए कुल 195.537 हेक्टेयर जमीन की मांग की आवश्यकता थी जिसमें 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र तथा 95.46 हेक्टेयर

वन परिषद अधिकारी

TANSHILDAR
Rato Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Kashi Vidyapeeth Kendra, Dantewada

राजस्व भूमि थी। एनसीएल ने एक नई तकनीक "प्रेसर फिल्टर" का पता लगाया गया जिसमें कि बड़े क्षेत्र में टेलिंग पॉड तथा स्लरी पाइपलाइन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एनसीएल ने इस नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वन क्षेत्र को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए न्यूनतम राजस्व भूमि का निर्धारण किया है। परिवर्तित योजना के अनुसार वर्तमान में परियोजना के खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र में तथा 22.4658 हेक्टेयर भूमि आरक्षित वन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित है, जो की पूर्व में निर्धारित भूमि से लगभग 73 हेक्टेयर कम है। अतः अधिग्रहित किया जाने वाला क्षेत्र प्रस्तावित परियोजना के लिए न्यूनतम क्षेत्र है। 73 हेक्टेयर राजस्व भूमि कम होने के कारण व्यापक रूप से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों की संख्या में अत्याधिक कमी आई है।-

(छ) सामाजिक लागत और फायदों का निर्धारण :- परियोजना की प्री-फिजिविलिटी रिपोर्ट के अनुसार इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 4091.33 करोड़ रुपए है। इस परियोजना के शुरू होने से निम्नलिखित बिंदुओं पर लाभ होने की प्रबल संभावनाएं हैं -

i. प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर:

इस परियोजना को एक स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में विकसित करने के लिए अनुमानतः 700 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का अनुमान है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी परियोजना के आसपास के क्षेत्रों में रोजगार की असीम संभावनाएं उत्पन्न होंगी। संविदात्मक रोजगार सहित अप्रत्यक्ष रोजगार लगभग 1400 होगा। प्रस्तावित खनन पट्टा और छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र से लगभग 10500 की कुल आबादी के लाभान्वित होने की उम्मीद है। सामग्री, परिवहन, बैंकों, स्कूलों, रेस्तरां, दुकानों के संचालन एवं छोटा व्यापार आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होगा, जिससे इलाके में लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा लोगों को स्वयं को संलग्न करने और समुदाय को विभिन्न सेवाएं प्रदान करके उपार्जन करने का अवसर भी मिलेगा जो स्थानीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

ii. आसपास के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर अवसर:

जैसा कि किरंदुल तथा बचेली में मौजूदा शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं वैसे ही शिक्षा संस्थानों (केंद्रीय विद्यालय आदि) का निर्माण भी इस परियोजना के कारण भांसी के आसपास के क्षेत्र में होना सुनिश्चित है।

iii. बेहतर चिकित्सा सुविधाएं:

इस परियोजना में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एक एकीकृत परियोजना चिकित्सालय की योजना भी सम्मिलित है। समय-समय पर आसपास के क्षेत्रों में मेडिकल कैंप भी आयोजित किए जाएंगे। उचित संख्या में आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित एंबुलेंस भी उपलब्ध कराई जायेगी।

iv बेहतर आवागमन की सुविधाएं:

इस परियोजना के क्रियान्वयन तथा क्रियाकलापों को सुचारु रूप से जारी रखने के लिए भविष्य में टाउनशिप का भी निर्माण किया जाएगा जिसमें की रहन-सहन की सुविधाएं जैसे कि स्कूल, अस्पताल, उद्यान, खेल के मैदान, व्यवसायिक स्थल, आदि विकसित किए जाएंगे। इस कारण परियोजना के निवासियों एवं आसपास के ग्रामीणों के रायपुर, जगदलपुर, दंतेवाडा इत्यादि नगरों तक आवागमन हेतु सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

(10)

Senior Scientist & Head
Krishi Vignyan Kendra, Dantewada

अध्याय 2 – परियोजना के विवरण का ब्यौरा

(क) परियोजना की पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत विकासकर्ता की पृष्ठभूमि और शासन या प्रबंधन संरचना सहित :

एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, का गठन 19 जून 2008 को क्रमशः 51 प्रतिशत एवं 49 प्रतिशत अंशधारिता के साथ किया गया था। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खनिजों परियोजनाओं का विकास करना है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी का पंजीकृत कार्यालय निम्नानुसार है :-

एनएमडीसी – सीएमडीसी लिमिटेड
ग्रीन्स विले सिटी, हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी
बोरियाकला, सेजबहार, रायपुर – 492015
छत्तीसगढ़.

खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक जीएसआर 697, दिनांक 30/09/2019 के अनुसार बैलाडीला लौह अयस्क खान क्रमांक - 4 का 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनिज पूर्वक्षण / खनन हेतु आरक्षित किया गया था। पश्चात में एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के आवेदन के आधार पर राज्य सरकार द्वारा एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में खनन पट्टे हेतु आशय पत्र जारी किया गया था।

आशय पत्र में जारी शर्तों के आधार पर खनन पट्टे के प्रस्तावित 646.596 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 570.100 हेक्टेयर क्षेत्रफल एवं खनन पट्टे के बाहर 100.077 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतु वन भूमि (बैलाडीला आरक्षित वन क्षेत्र) के व्यपवर्तन के लिए आवेदन वन विभाग को प्रस्तुत किया जा चुका है।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्त्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु ग्राम-भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण वस्तर, दंतेवाड़ा में अवस्थित कुछ भूमि एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड के पक्ष में अधिग्रहित / अर्जित करने की आवश्यकता है।

परियोजना के प्रबंधन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भविष्य में भर्ती प्रस्तावित है। परियोजना का ऑफिस ग्राम भांसी में रहेगा, जिसमें की परियोजना से सम्बंधित मुख्य अधिकारीगण कार्यरत रहेंगे। एक खनन परियोजना को सुचारु रूप से चलाने हेतु सभी आवश्यक विभाग जैसे की - माइनिंग, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, पर्सनेल, मैटेरियल्स, फाइनंस इत्यादि स्थापित किये जायेंगे।

(ख) परियोजना का मूलाधार, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में परियोजना किस तरह लोक प्रयोजन के लिए उपयुक्त है, सूचीबद्ध मानदण्डों सहित :

परियोजना का मूलाधार भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय की राष्ट्रीय इस्पात नीति है जो पूर्ण रूप से लोक हितार्थ एवं राष्ट्र हितार्थ है। परियोजना में केंद्र सरकार और राज्य शासन की अधिकारिता निहित रहेगी। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 2(1)(iii) के अनुसार पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की खनन परियोजनाओं पर

वन परिक्षेत्र अधिकारी

NO.
TAKSILBAR
Bade Bacheli

SENIOR SCIENTIST'S HEAD
Kishori Vignani Vastara, Dantewada

इस अधिनियम से सम्बन्धित उपबंध लागू होंगे। अतः बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 लोक प्रयोजन की श्रेणी में आता है।

(ग) परियोजना के आकार, अवस्थान, क्षमता, उत्पाद, उत्पादन लक्ष्य, लागत एवं जोखिम का ब्यौरा :-

आकार - 692.6428 हेक्टेयर (खनन पट्टा क्षेत्र, 7.0 एमटीपीए की लौह अयस्क उत्पादन क्षमता के साथ, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तथापि, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि में से केवल 570.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर शेष वन क्षेत्र को खनन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 22.4658 हेक्टेयर खनन पट्टे के बाहर राजस्व भूमि (शासकीय, निजी एवं बड़े झाड़ के जंगल) की आवश्यकता छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र, भरण संयंत्र एवं रेलवे साइडिंग, खनिज भंडारण, जल जमाव / पुनःपरिसंचरण कुंडों एवं कार्यालयों आदि के विकास के लिए भी होगी।)

अवस्थान - ग्राम-भांसी / पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा

क्षमता - 7 मिलियन टन प्रति वर्ष

उत्पाद - लौह अयस्क

उत्पादन लक्ष्य - प्रारंभिक वर्षों में 2 मिलियन टन प्रति वर्ष एवं परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात 7 मिलियन टन प्रति वर्ष

लागत - 4091.33 करोड़ रुपए

जोखिम का ब्यौरा- परियोजना के निर्माण हेतु समुचित राशि उपलब्ध है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृतियाँ मिल जाने के पश्चात परियोजना के निर्माण हेतु किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं है।

(घ) अनुकल्पों की परीक्षा :-

अनुकल्पों पर विचार किया गया अन्य कोई भी विकल्प इस परियोजना हेतु उचित नहीं था।

(ङ) परियोजना के सन्निर्माण की अवस्थाएँ :

परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त आवश्यक अनुमति प्राप्त होने उपरांत ही किया जावेगा है। खनन परिचालन के पहले पांच वर्षों को परियोजना के निर्माण चरण के रूप में माना गया है और इस परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान क्रशिंग प्लांट, डाउनहिल कन्वेयर, स्क्रीनिंग प्लांट, तृतीयक क्रशिंग प्लांट और लोडिंग प्लांट जैसी सभी अयस्क ड्रेसिंग सुविधाएँ स्थापित की जाएंगी। खनन के शुरुआती पांच वर्षों में खदान की उत्पादन क्षमता 2 एमटीपीए तक सीमित होगी। खदान के संचालन के छठे वर्ष से खदान की क्षमता में लगातार वृद्धि की जाएगी और खदान, संचालन के 9वें वर्ष में, 7 एमटीपीए की अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी।

(च) मूल डिजाइन की विशिष्टियाँ और सुविधाओं का आकार और प्रकार :

बैलाडीला निक्षेप -4 खनन पट्टा क्षेत्र ग्राम बचेली/भांसी, तहसील बड़े बचेली, जिला दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य के निकट स्थित है। यह उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर प्रवृत्त पहाड़ियों की बैलाडीला

वन परिक्षेत्र अधिकारी

TANSELDAR
Bade Bacheli

Senior Scientist
Krishi Vignan Kendra, Dantewada

श्रेणी में स्थित है। निक्षेप -4 तक भांसी से कच्ची सड़क या एनएमडीसी लिमिटेड के निक्षेप-5 से पहुंचा जा सकता है। भांसी, किरंदुल से गीदम तक एस.एच. रोड से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। बड़ेबचेली, ग्राम भांसी का तहसील मुख्यालय एवं निकटतम नगरीय क्षेत्र है। दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय है।

खनन के शुरुआती पांच वर्षों में जब खदान की उत्पादन क्षमता 2 एमटीपीए तक सीमित होगी, खदान में काम करने के लिए छोटे उपकरण लगाने का प्रस्ताव है। पांच वर्षों के बाद, जब खदान की क्षमता को 7 एमटीपीए तक विस्तार किया जाएगा, तो छोटे उपकरणों को उच्च क्षमता वाले उपकरणों से बदलने का प्रस्ताव है। खदान के संचालन के छठे वर्ष से खदान की क्षमता में लगातार वृद्धि की जाएगी और, खदान, संचालन के 9वें वर्ष में, 7.0 एमटीपीए की अपनी पूर्ण निर्धारित क्षमता प्राप्त कर लेगी।

दलन किया हुआ लौह अयस्क (-150 मिमी) खनन पट्टे के बाहर स्थित छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र को भेजा जाएगा और इसे निक्षेप-4 के खनन पट्टे के अंदर स्थित दलन संयंत्र से डाउनहिल कन्वेयर बेल्ट के माध्यम से छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र में ले जाया जाएगा।

छनन सह बेनिफिशिएशन संयंत्र, 4 पंक्ति प्रत्येक 750 टीपीएच की, 2200 टीपीएच डाउनहिल कन्वेयर प्रणाली और भरण सुविधाओं के साथ, बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप -4 के खनन पट्टा क्षेत्र के बाहर 122.5428 हेक्टेयर के क्षेत्र में ग्राम भांसी / पोरोकमेली, तहसील बड़े बचेली, जिला दक्षिण वस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में होगा।

प्रस्तावित नए छनन संयंत्र में, 4 छनन पंक्तियाँ, जिनमें 750 टीपीएच (प्राथमिक छलनी) की डिजाइन क्षमता की 4 दोहरे तले की कम्पन करने वाली छलनीयां और 550 टीपीएच क्षमता की 4 द्वितीयक कम्पन करने वाली छलनीयां हैं।

छनन संयंत्र में खुला भण्डारण, एक चार-पंक्ति का छनन संयंत्र और तृतीयक दलन संयंत्र, गीली सर्किट प्रणाली, कन्वेयर प्रणाली, बिजली उपकेंद्र, बिजली भवन / नियंत्रण कक्ष, कार्यालय और भंडार भवन, रख रखाव शेड, जलपान गृह और विश्राम कक्ष, पानी के फव्वारे और शुष्क कोहरा प्रणाली हेतु पंप हाउस, अप्रकमित पानी के कुंड, पुनःपरिसंचरण पानी की टंकी और पम्पिंग प्रणाली, शुष्क अवशिष्ट अपवहन प्रणाली आदि सम्मिलित हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संदर्भ की शर्तों के आधार पर एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड ने बैलाडीला लौह अयस्क निक्षेप -4 परियोजना की बेनिफिशिएशन प्रक्रिया में टेलिंग की शुष्क अपवहन प्रणाली (ड्राई डिस्पोजल टेलिंग सिस्टम - हाइड्रोलिक फिल्टर-आधारित तकनीक) को सम्मिलित किया है।

(छ) सहायक अधोसंरचनात्मक की आवश्यकता :

अस्थायी आवास :

श्रम शिविर स्थल पर निर्माण कार्य चरण के दौरान मजदूरों/श्रमिकों के परिवारों को उपयुक्त आवास प्रदान किया जाना चाहिए। भारत में श्रम शिविर के नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित कमरे का आकार उपयुक्त मानक के अनुसार होना चाहिए। मानकों की अनुपलब्धता के मामले में, ठेकेदार द्वारा उसी के लिए एक डिजाइन तैयार किया जायेगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

NO
TANUJ DAB
Bale Bachel

Senior S. ENTIST & MEAL
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

उपार्जन करने का अवसर भी मिलेगा जो स्थानीय लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करेगा।

(झ) सामाजिक समाघात निर्धारण या पर्यावरण समाघात निर्धारण का ब्यौरा, यदि पहले से किया गया है, और तकनीकी साध्यता रिपोर्ट :

वर्तमान में बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमॉक-4 के खनन पट्टे के बाहर के क्षेत्र में अनुषांगी गतिविधियों यथा स्क्रीनिंग सयंत्र, लोडिंग सयंत्र एवं रेलवे साइडिंग इत्यादि हेतु भू अर्जन संदर्भित सामाजिक समाघात निर्धारण हो रहा है।


परियोजना हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन और प्रबंधन योजना अलग से बनाई जा रही है। परियोजना हेतु तकनीकी और आर्थिक सुविधा रिपोर्ट भी बनी हुई है, जिसमें की पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए संदर्भ की शर्तों के आधार पर बेनिफिशिएशन प्रक्रिया में टेलिंग की शुष्क अपवहन प्रणाली (ड्राई डिस्पोजल टेलिंग सिस्टम - हाइड्रोलिक फिल्टर-आधारित तकनीक) को सम्मिलित किया है। इस कारण से पूर्व में प्रस्तावित टेलिंग डैम एवं स्लरी पाइप लाइन को परियोजना से हटा दिया गया है।

(ज) लागू किए गए विधान और नीतियाँ :

- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013
- छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, सहमति तथा जन सुनवाई) नियम 2016


वन परिक्षेत्र अधिकारी
बघेली


TANUJAM
Bale Bachel


SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 3 – दल की संरचना दृष्टिकोण, प्रणाली और सामाजिक समाघात निर्धारण की अनुसूची

(क) दल के सभी सदस्यों की अर्हता सहित सूची, दल लिंग विशेषज्ञों सहित

क्र	सामाजिक समाघात अध्ययन दल में सम्मिलित व्यक्ति का नाम पदनाम एवं अन्य विवरण	अध्यक्ष/ सदस्य	लिंग
1	श्री डिप्रेशन बंजारा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र, दंतेवाड़ा	अध्यक्ष	पुरुष
2	श्रीमती जयमती भास्कर, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, दंतेवाड़ा	सदस्य	महिला
3	श्रीमती सुखमती कुंजाम, सरपंच, ग्राम पंचायत धुरली	सदस्य	महिला
4	श्री आशुतोष मांडवा, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बडेबचेली	सदस्य	पुरुष
5	श्री हेमन्त चेरपा, खनिज अधिकारी, दंतेवाड़ा	सदस्य	पुरुष
6	तहसीलदार, संयोजक	सदस्य	पुरुष

(ख) सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु सूचना संग्रहण के लिए प्रयोग में आने वाली प्रणाली का विवरण और मूलाधार तथा साधन

सामाजिक समाघात आंकलन अध्ययन के प्रमुख उद्देश्यों में निम्न शामिल है -

- वैलाडीला लौह अयस्क परियोजना के आसपास की आबादी का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करना,
- सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने और नकारात्मक प्रभावों को काम करने या उनसे बचने के लिए शमन उपायों का सुझाव देना, तथा
- परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों पर भूमि अधिग्रहण से पड़ने वाले प्रभाव की समीक्षा।
- वर्तमान (सामाजिक आधार स्तर) आर्थिक स्थितियों के साथ परियोजना क्षेत्र की स्पष्ट जानकारी हासिल करना
- उन स्थितियों/तरीकों का आंकलन करना जिनसे परियोजना के कार्यान्वयन से सामाजिक स्थिति बदल सकती है,
- परियोजना प्रभावित परिवारों व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रस्तावित परियोजना से दोनों सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का आंकलन करना जिसमें विस्थापन से तथा कृषि गतिविधियों के नुकसान एवं आजीविका के अन्य साधनों के कारण व्यक्तियों पर प्रभाव शामिल हो,
- परियोजना प्रभावित गावों का एक सामान्य जनसांख्यिकीय बाह्य रूपरेखा तैयार करना,
- मौजूदा संसाधनों (प्राकृतिक एवं सार्वजनिक) संपत्ति तथा उन पर संभावित प्रभाव का आंकलन करना,
- प्रभावित गावों और परियोजना के समादेश क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मनोदशा, धारणा, मांग और तैयारियों की सीमा का आंकलन करना

इस परियोजना में सार्वजनिक परामर्श करने के लिए निम्नलिखित पद्धति को अपनाया गया है -

- रिसोर्स पर्सन की पहचान करना।

2
वन परिक्षेत्र अधिकारी
दंतेवाड़ा

TANSHILDAR
Baxi Bachali

Bijapur
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Koshi Vihar Kenda, Dantewada

- सूचना का प्रसार करना और ग्रामीणों से सार्वजनिक परामर्श बैठकों में भाग लेने का अनुरोध करना।
- पीएपी (परियोजना प्रभावित व्यक्ति) की राय और प्राथमिकताएं साझा करना।
- पीएपी को शामिल करना जानकारी साझा करना और परामर्श में भागीदारी।
- हितधारकों के साथ परामर्श।
- परियोजना क्षेत्र में परियोजना से प्रभावित समूह
- सरकारी एजेंसियां और विभाग जैसे स्थानीय राजस्व व वन विभाग

(ग) नमूना प्रणाली का उपयोग

गांव के प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण जन सुनवाई / एवं उससे पहले एवं बाद में अलग अलग समय अंतराल पर किया गया है।

गांव के लोगों को पूरी प्रक्रिया को विस्तार से समझाया गया क्योंकि गावों में लोगों की भावनाओं, मन की स्थिति को समझने और उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए उनसे मिलना और चर्चा करना एक बहुत ही संवेदनशील अभ्यास है। यह ध्यान दिया गया है कि परियोजना क्षेत्र के अधिकांश परिवार खेती से जुड़े हुए हैं और उसके प्रति उनका लगाव गहरा है। अधिकांश विकासात्मक परियोजना में पुनर्वास के लिए अपने पुराने आवास और सामाजिक - सांस्कृतिक वातावरण से विस्थापित होने और पुरानी यादों को पीछे छोड़ने की भावना एक ऐसी घटना होती है जिसे बहुत से लोग आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते हैं।

अध्ययन के लिए प्राथमिक जानकारी में महत्वपूर्ण पहलू जैसे की पी.ए.पी. की पहचान, संपत्ति और सिंचाई सुविधाएं, बुनियादी ढांचों का विवरण, भूमि उपयोग फसल प्रतिरूप, प्रभावों के प्रकार, नुकसान आदि शामिल किए गए हैं। अध्ययन का दृष्टिकोण सहभागिता से जानकारी लेना, समुदाय से धारणाएँ प्राप्त करना, लोगों के विचारों को सुनने के आधार पर सूचनाओं का संकलन और गांव की स्थितियों को जमीनी स्तर पर समझने का प्रयास करना था।

(घ) सूचना अथवा डाटा स्रोतों के प्रयोग का पर्यावलोकन (विस्तृत निर्देशों को पृथक रूप से प्रारूपों में सम्मिलित करें।)

प्रस्तावित भूमि का नक्शा, खसरा, खतौनी एवं ग्रामवार नक्शा, आंकड़े का राजस्व विभाग से सहारा लेकर इसे तैयार किया गया है।

(ङ) प्रमुख पणधारियों के साथ परामर्श और की गई (लोक सुनवाईयों के संक्षिप्त विवरण की अनुसूची के ब्यौरे और विनिर्दिष्ट पुनर्निवेशन को रिपोर्ट में रखकर प्रारूपों में सम्मिलित किया जाना चाहिये।)

सामाजिक समाघात निर्धारण की कार्यवाही के अन्तर्गत दिनांक 21/06/2023 को ग्राम भांसी में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली के ग्रामीण उपस्थित हुए। सामाजिक समाघात निर्धारण दल के अध्यक्ष, सदस्यों एवं परियोजना के अधिकारी द्वारा समुचित जानकारी ग्रामीणों को देने का प्रयास किया गया। जिसमें ग्रामीणों की तरफ से परियोजना, भूमि सम्बंधित एवं प्रभावित ग्रामीणों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे गए। जिसका सामाजिक समाघात निर्धारण दल के अध्यक्ष, सदस्यों एवं परियोजना के अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदान किया गया। अंत में कुछ ग्रामीणों

वन परिक्षेत्र अधिकारी

NO.
TAHSILDAR
Bada Bachali

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

ने यह मांग रखी की कोई भी कार्यवाही ग्रामीणों के भरोसे को जीतते हुए करनी चाहिए । ग्रामीणों को यह भी समझाया गया की प्रस्तावित परियोजना लोक प्रायोजन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कंपनी के लिए है एवं परियोजना से प्रभावित हो रहे ग्रामीणों को नियमानुसार पर्याप्त मुआवजा पुनर्वासन, और पुनर्दवस्थापन की पात्रता है एवं इस सम्बन्ध में कोई भी योजना उनसे विचार विमर्श करके ही बनाई जायेगी । ग्रामीणों द्वारा यह भी बताया गया की दिनांक 21.06.23 की जन सुनवाई में पोरोकमेली के भी ग्रामीण उपस्थित हुए हैं एवं वो दिनांक 22.06.23 की जन सुनवाई में उपस्थित नहीं रहेंगे ।

वन परिक्षेत्र अधिकार,
बचेली

TAHSILDAR
Bado Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 4 — भूमि अवधारणा

(क) भूमि तालिका की सूचना और प्राथमिक स्रोत-नक्शों की सहायता से वर्णन करें :

सलग्न है।

(ख) परियोजना के प्रभाव के अधीन पूर्ण संघटन क्षेत्र (अर्जन के लिए भूमि क्षेत्र तक सीमित नहीं है) :

प्रस्तावित परियोजना के कारण ग्राम भांसी एवं पोरोकमेली मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। जिसमें ग्राम पोरोकमेली, ग्राम पंचायत भांसी का आश्रित ग्राम है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित परियोजना से निकटतम स्थित अन्य ग्राम बड़े कमेली, दुगेली, नेरली, मोलसनार, धुरली, गामावाडा, बसनपुर, झिरिका, कमालूर इत्यादि भी क्षेत्र के आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से लाभान्वित होंगे।

(ग) परियोजना के लिए कुल अपेक्षित भूमि :

परियोजना के लिए कुल 692.6428 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। खनन पट्टा क्षेत्र, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र में फैला हुआ है। तथापि, 646.596 हेक्टेयर वन भूमि में से केवल 570.1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए ही वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। खनन पट्टा क्षेत्र के भीतर शेष वन क्षेत्र को खनन उद्देश्यों के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 100.077 हेक्टेयर वन क्षेत्र और 22.4658 हेक्टेयर खनन पट्टे के बाहर राजस्व भूमि (शासकीय, निजी एवं बड़े झाड़ के जंगल) की आवश्यकता भी होगी।

(घ) वर्तमान में किसी सार्वजनिक अनुपयोग भूमि, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस पास है का उपयोग :
वर्तमान में इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है।

(ङ) भूमि (यदि कोई हो) पहले से ही क्रय की गई, अन्य संक्रामित, पट्टे पर या अर्जित है और परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के प्रत्येक प्लॉट का आशयित उपयोग :

निरंक ।

(च) परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि का परिमाण और स्थान :


प्रस्तावित परियोजना के लिए ग्राम भांसी में अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित निजी भूमि का परिमाण 11.265 हेक्टेयर है, जिसमें राजस्व निजी भूमि रकबा 4.831 हेक्टेयर एवं व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारियों की भूमि रकबा 6.434 हेक्टेयर सम्मिलित है उक्त भूमि ग्राम भांसी में रेलवे लाइन से पहाड़ की ओर पश्चिम दिशा में अवस्थित है।

(छ) भूमि की प्रकृति, वर्तमान उपयोग और वर्गीकरण तथा यदि कृषि भूमि हो तो, सिंचाई क्षेत्र और फसल क्रम

ग्राम भांसी में हेतु प्रस्तावित भूमि कृषि योग्य है और जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ कृषि कार्य में होता है, जो की गांव में स्थित जल के प्राकृतिक स्रोतों एवं वर्षा ऋतु में जल के द्वारा सिंचित होता है। भूमि एक फसली की श्रेणी में आती है।

वन परिक्षेत्र आधिकार,
बघेली


TANSILDAR
Bade Bacheli


SENIOR SCIENTIST'S NEAL
Krishi Vigyan Kendra, Gantwade

(ज) धारित भूमि का आकर, स्वामित्व क्रम, भूमि वितरण और आवासीय सदनों की संख्या

प्रस्तावित भूमि का खसरा, बी-1 संलग्न है। भू-अर्जन से ग्राम भांसी में परियोजना के लिए आवश्यक राजस्व भूमि में लगभग 2 परिवार एवं आरक्षित वन क्षेत्र में लगभग 8 परिवार प्रभावित होंगे। प्रस्तावित क्षेत्र में लगभग मकान 10 नग बकरी शेड 05 नग कुआ 02 नग नलकूप 01 नग स्थित हैं।

प्रभावित निजी राजस्व भूमि का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	भूमिस्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित प्रभावित रकबा (हे0)
1.	भीमा पिता सुकलू	68/1	0.905	0.905
		71/1/झ	3.087	3.087
		71/4	0.304	0.304
2.	कुजामी हुंगा पिता बोड्डा	60/1/क	14.407	0.535
			योग	4.831

आरक्षित वन क्षेत्र में प्रभावित वन अधिकार पट्टों का विवरण :

क्र.	वन कक्ष नंबर / वन अधिकार मान्यता पत्रक क्र. / भूमिस्वामी का नाम व पिता/पति का नाम	कुल रकबा (हे0)	प्रस्तावित प्रभावित रकबा (हे0)	
1.	RF 1824 / 0221390, राकेश कर्मा आ0 कुम्मा कर्मा	2.006	0.270	
2.	RF 1824 / 0221391, हिरमा वट्टी आ0 स्व. सुकालू	1.900	1.900	
3.	RF 1824 / 0221392, बुधराम अतरा आ0 स्व. हुंगा	2.100	0.090	
4.	RF 1824 / 0221395, राजु कर्मा आ0 कुम्मा कर्मा	0.400	0.400	
5.	RF 1824 / 0189405, सुदरू आ0 भीमा	1.437	1.437	
6.	RF 1824 / 0189385, भीमा आ0 मासा	1.469	1.469	
7.	RF 1824 / 0189411, देवा आ0 वैहा	0.538	0.538	
8.	RF 1811 / 0189410, कोया आ0 गुमा	2.023	0.330	
			योग	6.434

(झ) भूमि की कीमत और स्वामित्व में नए परिवर्तन, पिछले तीन वर्षों से भूमि का अंतरण और उपयोग :

ग्राम भांसी के प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि की कीमत भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016, के तहत शासन के द्वारा निर्धारित, की जावेगी। संयुक्त को निर्धारित राशि प्रदाय की जावेगी।

25

वन पारदर्शिता अधिकारी
बघेली

NO.
TANSEKAR
Bade Bachel

SENIOR SCIENTIST
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

अध्याय 5 – प्रभावित परिवारों एवं संपत्तियों (जहाँ अपेक्षित हो) का प्राक्कलन
और प्रगणन

निम्नलिखित प्रकार के परिवारों का प्राक्कलन इस प्रकार से है :-

(क) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित (स्वयं की भूमि, जो कि अर्जन के लिए प्रस्तावित है) :

राजस्व भूमि में प्रत्यक्ष रूप से 2 भूमिस्वामी परिवार एवं आरक्षित वन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारी 8 भूमिस्वामी परिवार प्रभावित होंगे।

(एक) किराएदार है अथवा अर्जन के लिए प्रस्तावित भूमि के अधिमोगी है - भूमि स्वामी है।

(दो) अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन्य निवासी, जिनके किसी भी वन्य अधिकार की हानि हुई है -

परियोजना के लिए प्रस्तावित आरक्षित वन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारी 8 भूमिस्वामी परिवार एवं अप्रत्यक्ष रूप से वनोपज संग्रहण हेतु सामुदायिक वन संसाधन के अधिकार पत्रक अंतर्गत ग्रामीण प्रभावित होंगे।

(तीन) सामान्य भूमि स्रोतों पर आश्रित, जो कि उनकी जीविका की भूमि के अर्जन के कारण प्रभावित होगी:

निरंक ।

(चार) सनुचित सरकार द्वारा अपनी किसी स्कीम के अधीन भूमि सौंपी गई है और इस तरह की भूमि अर्जन के अधीन है :

निरंक ।

(पाँच) भूमि अर्जन से पूर्व शहरी क्षेत्रों की किसी भूमि में पिछले तीन वर्षों या उससे अधिक समय से रह रहे है :

निरंक ।

(छः) अर्जन से पूर्व भूमि, जो कि पिछले तीन वर्षों से जीविका का प्राथमिक स्रोत है, पर आश्रित है :

प्रत्यक्ष रूप से, राजस्व भूमि में 2 भूमिस्वामी परिवार एवं आरक्षित वन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रकधारी 8 भूमिस्वामी परिवार प्रभावित होंगे।

(ख) परियोजना द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समाघात (स्वयं की भूमि के अर्जन से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है) :

परियोजना के अंतर्गत शामिल आरक्षित वन क्षेत्र में जारी हुए वन संसाधन अधिकार अंतर्गत लघु वनोपज संग्रहण कर रहे ग्रामीण प्रभावित होंगे।

(ग) उत्पादक आरितयों और महत्वपूर्ण भूमियों की तालिका :

निरंक ।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

निरंक

TAHSILDAR
Bada Bacholi

Senior Scientist in Charge
Karni, Viroch, Kanto, Doodhapat

अध्याय 6 – समाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पार्श्वदृश्य (प्रभावित क्षेत्र और पुनर्वासन स्थल)

(क) परियोजना क्षेत्र में जनसंख्या का जन सांख्यिकी ब्यौरा

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना निक्षेप – 04 क्षेत्र की परिधि में आने वाले ग्राम भांसी को प्रभाव के आंकलन के लिए चिन्हित किया गया ।

1. कुल जनसंख्या – 1365 (एक) पुरुष – 722 (दो) महिला – 643
2. बच्चों की संख्या – 677 (एक) पुरुष – 344 (दो) महिला – 333
3. जातिवार जनसंख्या (एक) अ.ज.जा. –960 (दो) अ.जा.–0 (तीन) अ.पि.व. 76 (चार) अन्य– 329
4. धर्मवार जनसंख्या (एक) हिन्दू –1335 (दो) मुस्लिम –08 (तीन) सिक्ख –00
(चार) ईसाई – 22 (पांच) बौद्ध –00 (छः) अन्य –00

(ख) आय एवं गरीबी स्तर :

गरीबी रेखा के नीचे की परिवारों की संख्या – 326

ग्राम में कुल गरीबी रेखा के नीचे राशन कार्ड कि संख्या 326 और सभी सदस्य कृषि एवं मजदुरी पर निर्भर है।

ग्राम भांसी में सामान्यतः कृषि एवं लघु वनोपज आधारित अर्थव्यवस्था है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामवासियों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त हो रहा है। परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में निम्न आय वर्ग के लोग ही निवास कर रहे हैं ।

- बीपीएल सहित कमजोर वर्ग के अंतर्गत आने वाले सभी प्रभावित परिवारों को उनकी आर्थिक स्थिति से उत्थान के लिए सहायता प्रदान की जाएगी, चाहे उनकी स्वामित्व की स्थिति कुछ भी हो, पात्रता के अनुसार उनकी आजीविका को बहाल करने में सहायता की जाएगी।
- आजीविका/आय के प्राथमिक स्रोत के नुकसान से प्रभावित कमजोर लोगों को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान ।

(ग) दुर्बल समूह :

वृद्धावस्था पेंशनरों की संख्या – 86

निराश्रित पेंशनरों की संख्या – 32

इस परियोजना के प्रभाव के कारण परियोजना क्षेत्र तथा आस-पास के क्षेत्रों, जहा के लोगों की निर्भरता भूमि एवं टन भूमि पर प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से है, उन पर परियोजना का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। वहाँ की महिलाओं एवं कमजोर समूह के लोग जो वनों से लघु वनोपज का संग्रहण, वनीकरण से

25
जन प्रिक्षक अधिकारी
बतेली

NO
TAKSILDAR
Bada Bachali

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

मजदूरी, कृषि मजदूरी तथा अधिया-बटाई में कृषि कार्य करते हैं वह प्रभावित होंगे। यहाँ दुर्बल समूह के सदस्य रोज कमाना व खाना वाली स्थिति में है।

(घ) भूमि उपयोग और जीविका :

कृषि भूमि - 186 हे.

पडत भूमि - 77.65 हे. (2-5 साल पड़ती), 103.88 हे. (चालू पड़ती)

भूमि का उपयोग कृषि कार्य के लिए होता है। ग्रामवासियों की जीविका कृषि, लघु वनोपज एवं अन्य व्यवसायों पर आधारित है।

(ङ) स्थानीय आर्थिक क्रियाकलाप : कृषि एवं लघु वनोपज संग्रहण आधारित है। अन्य स्थानीय रोजगार - देशी मशरूम संग्रहण, महुआ संग्रहण, तेंदुपत्ता संग्रहण, जलाऊ लकड़ी संग्रहण, हर्रा, बहेरा, चार, सल्फी रस, छिंद रस, ताड़ी रस एवं रोजगार गारंटी आदि है।

(च) कारक, जिनका स्थानीय जीविका में योगदान है

कृषि एवं लघु वनोपज है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों को अपने घरों में पशुधन है। ग्रामीण अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दंतेवाडा शहर या बचेली टाउन पर निर्भर हैं।

(छ) नातेदारी क्रम तथा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन :

प्रभावित क्षेत्र में आदिवासियों की आंतरिक सामाजिक व्यवस्था परिलक्षित है। ग्राम में दंडाकरण प्रोजेक्ट के अंतर्गत बसाए गए बंगाली परिवारों के अतिरिक्त मुख्यतः स्थानीय आदिवासी ही बसे हुए हैं जो के एक दुसरे के साथ एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।

(ज) प्रशासनिक संगठन :

सचिव -1

पटवारी -1

ग्रामिण कृषि विस्तार अधिकारी -1

रोजगार सहायक -1

हैण्डपंप तकनीशियन -1

फारेस्ट गार्ड -1

ग्रामिण उद्यान विस्तार अधिकारी -1

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता -7

(झ) राजनैतिक संगठन - विभिन्न अधिनियमों अंतर्गत निर्वाचित जनप्रतिनिधि।

(ञ) समुदाय-आधारित और सिविल सोसाइटी संगठन - निरंक।

(ट) क्षेत्रीय सक्रियता और ऐतिहासिक परिवर्तन प्रक्रियाएँ - निरंक।

ठ) जीवंत पर्यावरण की गुणवत्ता - सामान्य।

वन परिक्षेत्र अधिकारी,
बचेली

TAHSILDAR
Bade Bachel

Banjara
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vignana Kendra, Dantewada

अध्याय 7 - सामाजिक समाघात

(क) पहचान में आए समाघातों के लिए कार्य ढाँचा और दृष्टिकोण।

परियोजना से भविष्य में होने वाले समाघातों का निर्धारण करने के लिए, परियोजना के तकनीकी अधिकारियों, ग्राम के प्रमुख व्यक्तियों एवं प्रभावित परिवारों से चर्चा की गयी एवं उस आधार पर भौतिक एवं सामाजिक समाघातों का निर्धारण किया गया।

सामाजिक समाघात आंकलन रिपोर्ट एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, विषय विशेषज्ञों तथा क्षेत्र कार्य के दौरान परामर्श किए गए हितधारकों के साथ चर्चा के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित है। इस प्रकार, परामर्श प्रक्रिया के दौरान सामाजिक परिवेश के व्यापक और सटीक प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवश्यक प्रासंगिक स्थानीय ज्ञान प्राप्त कर रिपोर्ट में शामिल करने का प्रयास किया गया है। यहाँ प्रासंगिक यह है कि सामाजिक-आर्थिक आधारभूत प्रतिस्वरूप ग्रामीणों के बीच जाकर संकलित की गई है।

इस परियोजना के शुरू होने से इस सुदूर एवं ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के रहन-सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं रोजगार के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास की असीम संभावनाएं निहित हैं। परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का बहुमुखी विकास होगा। परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए उचित स्थान पर ग्राम की सीमा के अंदर एक टाउनशिप का निर्माण वांछित है, परियोजना से प्रभावित परिवारजनों को उचित रोजगार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ग्रामीणों से सतत चर्चा करने के लिए एवं उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड को अपने कुछ अधिकारियों के नियत करना पड़ेगा, जिससे की भविष्य में किसी वाद विवाद की स्थिति पैदा होने से पहले ही उसका निवारण कर लिया जाए। आसपास के सभी ग्रामीणों का एक स्किल मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिससे की भविष्य में उन्हें परियोजना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के साधन उपलब्ध कराये जा सकें। ग्रामीणों के कौशल विकास के लिए भी एक योजना वांछित रहेगी। लघु वनोपज पर निर्भर ग्रामीणों के भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान को बचाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से इस प्रकार से मुआवजा निर्धारण करना पड़ेगा जिससे की उनके अन्दर किसी प्रकार का असंतोष ना पैदा हो।

(ख) परियोजना चक्र के विभिन्न स्तरों पर समाघातों का विवरण, जैसे स्वास्थ्य तथा जीविका और संस्कृति। प्रत्येक प्रकार के समाघात, पृथक पहचान के लिए कि क्या यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष समाघात है, प्रभावित परिवारों के विभिन्न वर्गों पर भेददर्शक समाघात और जहाँ लागू हो-आकलित समाघात।

यह खंड प्रस्तावित परियोजना के निर्माण चरण के दौरान एवं परियोजना के संचालन के समय उत्पन्न होने वाले सामाजिक प्रभावों से सम्बंधित है, इस सम्बन्ध में निम्न अनुमानित प्रभावों को शामिल किया है-

- सकारात्मक प्रभाव, अर्थात् रोजगार सृजन, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव और स्थानीय उद्यमियों के लिए बड़ा हुआ बाजार, तथा
- नकारात्मक प्रभाव, अर्थात् भौतिक और आर्थिक विस्थापन, नवागंतुकों और मौजूदा आबादी के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा, स्थानीय सेवाओं और संसाधनों पर दबाव में वृद्धि, अनौपचारिक

राज्य परिक्षेत्र अधिकारी
बनारस

NO
TANUJAN
Bada Bachel

Banjaru
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Koshi Vidyapeeth, Banar

वस्तियों की वृद्धि, सुरक्षा प्रभाव, जीवन की गुणवत्ता में कमी, भूमि और पौधों को नुकसान, जंगल की हानि, कृषि श्रम की हानि।

इन प्रभावों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गयी है और नकारात्मक प्रभावों को कम करने एवं सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाने के लिए उपयुक्त शमन उपायों की सिफारिश की गई है।

सकारात्मक प्रभाव

निर्माण के दौरान रोजगार सृजन

प्रस्तुत आधारभूत सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल इंगित करती है कि स्थानीय और क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्रों में कुछ समुदाय गरीबी और अल्प विकास की स्थिति में है उल्लेखनीय सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं।

- कृषि लघु वनोपज संग्रहण वनीकरण के कार्य के विकल्प के रूप में निर्माण के दौरान एवं खनन कार्य में रोजगार के सृजन को देखा जा सकता है।
- परियोजना अध्ययन क्षेत्र में आर्थिक रूप से सक्रिय आवादी का अधिकांश हिस्सा बेरोजगार है तथा परियोजना क्षेत्र में अधिकांश परिवारों की आय रूप 10000 या उससे कम है। इन आंकड़ों से संकेत मिलता है कि परियोजना प्रभावित क्षेत्र और परिधीय क्षेत्र महत्वपूर्ण सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। उम्मीद और विश्वास कि परियोजना स्थानीय रोजगार के अवसर लाएगी। हालाँकि यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि ऐसे अवसरों की अपेक्षा और मांग लगभग हमेशा उपलब्ध अवसरों से अधिक होती है।

स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना का व्यय पूर्वानुमान और भौगोलिक स्थिति जो व्यय की गई मदों से लाभान्वित होगी तथा कुछ उचित धारणाएं निम्नानुसार बनाई जा सकती हैं:

- कम से कम खान कर्मचारियों के वेतन का कुछ हिस्सा तथा वहां जो लोग बाहर से व्यवसाय तथा अन्य रोजगार की तलाश में बाहर से आकर परियोजना क्षेत्र में बसेंगे उन समुदायों के बीच भी राजस्व का अन्तः आदान-प्रदान होगा। जैसे कि बाजार से सामान की खरीदी, सेवा कार्यों में खर्च आदि से यहाँ आस-पास के समुदायों के भीतर राजस्व का पर्याप्त प्रवाह पैदा करने की उम्मीद है, इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन और विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है।
- इसी तरह, स्थानीय और परिधीय क्षेत्रों में स्थित कुछ व्यक्तियों और व्यवसायों को पहली बार अनुमानित वार्षिक लागत से अधिक लाभ होगा। यह स्थिति परियोजना के अंत तक रहने की उम्मीद की जा सकती है। यदि स्थानीय और परिधीय क्षेत्रों में उपयुक्त सेवा प्रदाता उपलब्ध है तो इन क्षेत्रों की ऐसी सेवाओं से लाभ होगा। इस तरह के खरीद खर्च परियोजना के आर्थिक प्रभाव को और बढ़ाएंगे। निर्माण कार्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्माण कार्य से जुड़े उद्योग, प्रतिष्ठान स्थापित हो सकते हैं जिससे राजस्व स्थानीय अर्थव्यवस्था पर निरंतर लाभकारी प्रभाव उत्पन्न करता रहेगा।
- अंततः ग्राम पंचायत की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा सामुदायिक विकास और मानव संसाधन विकास स्थानीय क्षेत्र के भीतर प्रगति का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जिससे आर्थिक विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां भी बनेगी।

वन परिक्षेत्र अधिकारी

TAHSILDAR
Bada Bacheli

SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

- उपरोक्त के आलावा कुछ निर्माण कार्यबल को स्थानीय ग्राम पंचायत क्षेत्र के भीतर मौजूदा बुनियादी ढांचे में समायोजित किया जा सकता है यह भी स्थानीय अर्थव्यवस्था की दिशा में सकारात्मक योगदान होगा।

स्थानीय उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ बाजार

प्रस्तावित परियोजना के कारण अध्ययन क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों का प्रवास होगा यद्यपि जनसंख्या प्रवाह के सामाजिक परिणाम अधिकतर नकारात्मक होते हैं, किन्तु स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसके सकारात्मक प्रभाव होते हैं। स्थानीय स्तर पर बाजार बढ़ेगा एवं बाहर से भी व्यापारी आकर स्थानीय स्तर पर लोगों के साथ अनुबंध करके स्थापित होने की कोशिश करेंगे, स्थानीय लोगों को भी नए व्यवसायों का अनुभव मिलेगा और वे लोग भी अपने आप को व्यवसायिक तौर पर स्थापित करने का प्रयास करेंगे।

इसके आलावा प्रवासी स्थानीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति ला सकते हैं तथा कुशल लोग जो पहले कहीं और काम की तलाश में पलायन कर चुके हैं, लेकिन जिनके परिवार स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं, वे घर पर रोजगार की उम्मीद में वापस आ सकते हैं।

इस प्रभाव का महत्त्व प्रवासियों की संख्या और कौशल के साथ-साथ उनकी पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्रस्तावित परियोजना के परिणामस्वरूप अपेक्षाकृत बड़ी संख्या में कुशल प्रवासियों का प्रवास होता है जिनके परिवार पहले से ही निवासी हैं, तो इस प्रभाव का महत्त्व बढ़ जायेगा।

नकारात्मक प्रभाव

भौतिक और आर्थिक विस्थापन

प्रस्तावित परियोजना के कारण क्षेत्र का भौतिक व आर्थिक विस्थापन होगा। लोगों को परियोजना के बुनियादी ढांचे के लिए रास्ता बनाने के लिए लोगों को अन्यत्र विस्थापित किया जावेगा। इसके आलावा लोगों का आर्थिक विस्थापन भी होगा जैसा कि परियोजना क्षेत्र में लोगों का आर्थिक आधार कृषि व वन है।

नवागंतुकों और मौजूदा आबादी के बीच संघर्ष/प्रतिस्पर्धा

जैसे ही प्रस्तावित परियोजना के बारे में खबर फैलती है, रोजगार के संभावित अवसरों की उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। नतीजतन, स्थानीय अध्ययन क्षेत्र में नौकरी चाहने वालों की आमद भारी मात्रा में हो सकती है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जनसंख्या प्रवाह से जुड़े प्रभावों की प्रकृति और परिमाण दोनों ही संख्या, कौशल, व्य्धार, रोजगार की उम्मीदों और प्रवासियों की पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करेंगे। यह स्थानीय अध्ययन क्षेत्र में लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक होने की सम्भावना पर भी निर्भर करेगा।

निर्माण श्रमिकों और नौकरी चाहने वालों की आमद के कई नकारात्मक सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। इनमें से एक स्थानीय लोगों और नवागंतुकों के बीच संघर्ष या प्रतिस्पर्धा है। जनसंख्या प्रवाह से जुड़े अन्य प्रभावों में स्थानीय बुनियादी ढांचे और सेवाओं पर बढ़ते दबाव और अनौपचारिक यस्तियों की वृद्धि शामिल है।

25
बल परिक्षेत्र अधिकारी
बनोनी

NOA
ANILDAR
Bale Bacholi

Senior Scientist & Head
Kishor Vignesh Kanchi Dattawadi

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, परियोजना के लिए कार्यबल का अनुपात स्थानीय क्षेत्र से होगा, जबकि शेष परिधीय गावों से प्राप्त किया जायेगा। यह संभव है कि नए लोगों और स्थानीय निवासियों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो सकता है। इस तरह के संघर्ष का एक संभावित कारण स्थानीय लोगों के बीच यह धारणा होगी कि बाहरी लोग ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो स्थानीय समुदाय के बेरोजगार सदस्यों के पास जा सकती थी। बेरोजगार नौकरी चाहने वालों की आमद भी संघर्ष की संभावना को बढ़ा सकती है।

इस अध्ययन के प्रयोजन के दौरान लिए साक्षात्कार में हितधारकों ने संकेत दिया कि स्थानीय आबादी प्रवासी श्रमिकों के प्रति नकारात्मक (और यहाँ तक कि हिंसक रूप से) प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी, खासकर यदि वे कार्यकर्ता उन पदों को भरते हैं जो स्थानीय परिधीय क्षेत्र के भीतर से भरे जा सकते थे।

स्थानीय सेवाओं संसाधनों पर बढ़ा दबाव

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग नौकरी व विभिन्न व्यवसायों के लिए परियोजना क्षेत्र में प्रवाह करेंगे। इसके आलावा कई कार्यबल स्थानीय रूप से लिए जावेंगे जिसके कारण अप्रत्याशित भीड़ बढ़ने की संभावना है। इन प्रवाह के स्रोत के कारण, स्थानीय स्थानीय सेवाओं और संसाधनों, विशेष रूप से आवास, स्वास्थ्य सुविधाओं, पुलिस बल, शैक्षणिक सुविधाओं, खेल सुविधाओं और जल आपूर्ति पर धीरे-धीरे अतिरिक्त दबाव पड़ने की संभावना है।

बढ़ी हुई सामाजिक विकृति

नौकरी चाहने वालों की आमद से विभिन्न सामाजिक विकृति में वृद्धि हो सकती है विशेष रूप से चोरी, अपराध, लड़ाई झगड़े, गुटबाजी एवं दुराचार आदि में परिणामी वृद्धि हो सकती है।

अनौपचारिक वस्तियों का विकास

प्रस्तावित परियोजना के कारण लोग परिवार सहित परियोजना क्षेत्र में प्रवास करेंगे जिससे क्षेत्र में अनौपचारिक आवासों का विकास हो सकता है। यह स्थिति ग्राम पंचायत द्वारा आवास पूर्ति में असमर्थता के कारण हो सकता है। यह अनौपचारिक बस्तिया पानी, स्वच्छता व बिजली जैसी सुविधाओं की उन पहुँच न होने के कारण कई तरह की असामाजिक, आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का क्षेत्र में जन्म दे सकती हैं।

सुरक्षा प्रभाव

प्रस्तावित परियोजना का हिस्सा बनने वाली निम्नलिखित में से किसी भी गतिविधि से सुरक्षा प्रभाव उत्पन्न कर सकती हैं—

- निर्माण स्थल (निर्माण चरण);
- भण्डारण (निर्माण और परिचालन चरण);
- रोड के माध्यम से लौह अयस्क का परिवहन

निर्माण स्थल और भण्डारण ये स्थल श्रमिकों के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

रोड के माध्यम से लौह अयस्क का परिवहन, जिसका उपयोग निजी मोटर चालकों द्वारा भी किया जाता है, यातायात की मात्रा में वृद्धि और सड़कों पर एचएमवी की उपस्थिति के कारण

25
वन परिधीय अधिकारी

TAHSILDAR
Bade Bacheli

Senior Scientist & Head
Krishi Vignana Kendra, Dantewada

मोटर चालकों की सुरक्षा के लिए एक जोखिम पैदा करता है। इसके अलावा एचएमवी के चलने के परिणामस्वरूप सडकों की क्रमिक गिरावट भी मोटर चालकों के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा करती है।

ग्रह ध्यान दिया जाना चाहिए की कुछ मामलों में अनुभव किये गए सामाजिक प्रभाव जरूरी नहीं कि किसी की सुरक्षा के लिए जोखिम की वास्तविक वृद्धि हो।

जीवन की गुणवत्ता में कमी

प्रस्तावित योजना के निर्माण और परिचालन चरण, आसपास के भौतिक वातावरण में निम्नलिखित विभिन्न तरीको से प्रभाव डाल सकते हैं -


- दृश्य प्रभाव : परियोजन के बुनियादी ढांचे और भण्डार दृश्य वातावरण की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं;
- ध्वनिक प्रभाव : बढ़े हुए यातायात और अन्य गतिविधियों से क्षेत्र में शोर बढ़ेगा;
- वायु गुणवत्ता और धूल : लौह अयस्क के परिवहन से उत्पन्न अत्यधिक धूल से वायु की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है; तथा
- पानी की मात्रा और गुणवत्ता : परियोजना स्थल के आसपास के क्षेत्रों में उपलब्ध पानी की मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) समाघात क्षेत्रों की सूचक सूची में सम्मिलित है भूमि, जीविका और आय, भौतिक संसाधन, निजी आस्तियों, लोक सेवाओं और उपयोगिताओं, स्वास्थ्य संस्कृति और सामाजिक सम्बन्ध तथा लिंग आधारित समाघात।

बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 में ली जाने वाली भूमि कृषि भूमि है। अधिग्रहण करने पर यथोचित मुआवजा एवं रोजगार दिये जाने के कारण जीविकोपार्जन पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपितु जीविका एवं आय के साधन में विविधता एवं बढ़ोत्तरी आएगी। लोक सेवाओं तक ग्रामीणों की पहुच में वृद्धि होगी, तथा उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाए की ग्राम स्तर पर उपलब्धता बढ़ेगी। परियोजना से ग्राम के लिंगानुपात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

तन परिक्षेत्र अधिकारी
बघेली


TANSILDAR
Bade Bacheli


SENIOR SCIENTIST & HEAD
Krishi Vikas Kendra, Dantewade

अध्याय 8 – लागतों और फायदों का विश्लेषण और अर्जन पर सिफारिशें

(क) लोक प्रयोजन का निर्धारण, निम्न विस्थापित अनुकल्प तथा भूमि की न्यूनतम अपेक्षाएं, सामाजिक समाघात की प्रकृति और गहनता, शमन के उपायों की व्यवहार्यता और वहां तक, जहाँ शमन के उपायों का सामाजिक समाघात प्रबंध योजना में वर्णन है, सामाजिक समाघातों के पूर्ण प्रकार और प्रतिकूल सामाजिक लागतों की व्याख्या के समाधान, के बारे में अंतिम निष्कर्ष।

छ0ग0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार के तहत प्रश्नाधीन अर्जन शासन के माध्यम से एनएमडीसी सीएमडीसी लिमिटेड, जो कि एनएमडीसी (भारत सरकार का उपक्रम) एवं सीएमडीसी (छत्तीसगढ़ राज्य का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम है, को दिया जा रहा है, जो पूर्ण रूप से लोकहित बाबत है। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक-4 हेतु न्यूनतम आवश्यक भूमि ही लिया जाना है। प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है की परियोजना के कारण आसपास के क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास होगा एवं आधारभूत संरचनाओं में आमूल चुल परिवर्तन होना सुनिश्चित है।

इस परियोजना में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, के तहत विस्थापन किया जायेगा। परियोजनाएं जहां स्थापित होती हैं वहा आस पास के जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस योजना से भी लोगों के जीवन में सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे जो विकासशील होगा। यदि हम लाभ की बात करें तो इससे भू-स्वामियों को उचित दर पर भूमि का मुआवजा एवं रोजगार दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त प्रभावित व्यक्ति दूसरे आय अर्जन व्यवसाय से जुडकर आर्थिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेंगे। बैलाडीला लौह अयस्क परियोजना क्रमांक - 4 योजना से भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, के तहत प्रभावित परिवार को लाभ मिलेगा जिससे की उनकी आर्थिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा यह परियोजना एक राष्ट्रीय हित की परियोजना है। इस परियोजना के शुरु होने से राष्ट्र तथा राज्य के राजस्व में काफी बड़ा योगदान के अतिरिक्त परियोजना के निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा के कारण क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

(ख) उपरोक्त विश्लेषण नियम में वर्णित साम्या सिद्धांत का अंतिम सिफारिश प्रस्तुत करने पर, कि क्या अर्जन होना चाहिए या नहीं, विश्लेषण की कसौटी के रूप में उपयोग किया जायेगा।

उपरोक्त के मद्देनजर, यह दृढता से अनुशांसा की जाती है कि प्रस्तावित परियोजना के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना में शमन उपायों को शामिल किया जाए और जहाँ प्रासंगिक है, जारी की जाने वाली अनुबंध शर्तों में ठेकेदारों और उनके उपठेकेदार भी इन शमन उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी और आकलन करने और जहाँ आवश्यक हो सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए सम्मिलित किये जाने चाहिए।

परियोजना से लोगों के जीवन और स्थिति में वृद्धि होगी, लेकिन नकारात्मक प्रभावों से सावधानीपूर्वक और योजनाबद्ध तरीके से निपटा जाना चाहिए। परियोजना और सम्बंधित गतिविधियों के कारण सामाजिक वातावरण प्रभावित होगा। इस परियोजना क्षेत्र में वन भूमि, राजस्व भूमि, कृषि भूमि, निर्मित क्षेत्र आदि है। निश्चित रूप से परियोजना क्षेत्र के लोगों की उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने में मुश्किल आयेगी, कृषि उत्पादन में नुकसान, कृषि से सम्बंधित व्यवसाय की हानि, जंगल की हानि, ऊपरी मिट्टी और नमी की हानि, पारंपरिक रोजगार की हानि, विस्थापन परिवर्तन, पानीए वायु और मिट्टी का प्रदूषण, शोर और कंपन, व्यापार विस्थापन, पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास की समस्या और युनियामी ढांचे पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। प्रमुख बंदोबस्त क्षेत्र के परिचालन चरण में भविष्य की किसी

वन परियोजना अधिकारी
मनेली

TAHSILDAR
Bade Bachell

Banjara
SENIOR SCIENTIST
Krishi Vigyan Kendra, Dantewada

भी समस्या से बचने के लिए इन सभी प्रभावों पर उचित सोच-विचार करने की आवश्यकता होगी। सभी परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए, निम्न अनुशंसा की जाती है कि-

- बेरोजगारी, क्षेत्र में व्याप्त प्रमुख मुद्दों में से एक है। स्थिति से निपटने के लिए आईटीआई के रूप में एक प्रशिक्षण संस्थान निकट में है। इसके अतिरिक्त कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी हो सकती है।
- परियोजना पर लोगों को नियुक्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली भर्ती नीति निष्पक्ष, पारदर्शी और स्थानीय आबादी को स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित होनी चाहिए।
- स्थानीय सामुदायिक संरचनाएँ स्थानीय श्रम को वरीयता देने के प्रस्तावक के इरादे को सम्प्रेषित करने और स्थानीय श्रम पूल की पहचान करने में सहायता करने में सहायता के लिए शामिल होना चाहिए।
- एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्थानीय लोगों को तरजीही रोजगार देने का इरादा स्पष्ट रूप से सम्प्रेषित हो, ताकि अन्य क्षेत्रों से नौकरी चाहने वालों की आमद को हतोत्साहित किया जा सके और स्थानीय निवासियों के साथ सकारात्मक संबंधों की नींव रखी जा सके।
- यदि स्थानीय क्षेत्र के लेबर डेस्क पर ऐसा रजिस्टर मौजूद नहीं है, तो प्रस्तावक को स्थानीय एसएमएमई और उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकारों को एक रजिस्टर में विकसित करने पर विचार करना चाहिए। जहां उपयुक्त एसएमएमई मौजूद नहीं है, वहां प्रस्तावक को स्थानीय क्षेत्र में प्रशिक्षण/कौशल विकास को संरक्षित करने की सम्भावना की जाँच करनी चाहिए।
- उपठेकेदारों की नियुक्ति करते समय स्थानीय क्षेत्र में स्थित उपयुक्त उपसंविदाकारों को पहले वरीयता देनी चाहिए और उसके बाद ही बाहर के ठेकेदारों को।
- महिला आबादी में साक्षरता दर कम है और इनके पास कोई प्रशिक्षण भी नहीं है। अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा समुदाय की महिलाएं लघुवन उपज एकत्र करने में लगी हुई हैं जो उनके लिए आर्थिक स्रोत का एक महत्वपूर्ण अंग है। वनों की हानि से उनकी व्यस्तता तथा आय प्रभावित होगी, इसलिए उनकी रुचि, क्षमता, एवं स्थानीय संसाधनों की पहचान करते हुए उन्नत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- बाय-पास सड़कें लौह अयस्क ढोने वाले भारी वाहन की आवाजाही के लिए लौह अयस्क की धूल, वाहनों और ध्वनि प्रदूषण, भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक है।
- जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि लोग जल स्तर के घटने और उसके प्रदूषण के बारे में चिंतित हैं।
- प्रस्तावक या उसके उपठेकेदारों द्वारा प्रदान किया गया कोई भी प्रशिक्षण सम्बंधित प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। यह प्रशिक्षुओं के भविष्य के कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने के सन्दर्भ में प्रशिक्षण से प्राप्त लाभों को बढ़ायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक प्रभावित व्यक्तियों को पर्याप्त नोटिस प्रदान करेगी, ताकि वे सिविल कार्य शुरू होने से पहले बिना किसी कठिनाई के अपनी संपत्ति को स्थानांतरित करने में सक्षम हों।
- आरआरएपी क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ शामिल हैं:
 - I. आवश्यक कर्मचारियों की तैनाती,
 - II. पीएपी का सत्यापन प्रभावित संपत्ति और संपत्ति की लिस्टिंग और माप और उनका अनुमान,
 - III. आर एंड आर सहायता जारी करना,

का प्रमुख अधिकारी
अनुमति

TAHSILDAR
Bade Bacheli

Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra, Danta Road

IV. पुनर्वास के लिए पात्र पीएपी की सूची तैयार करना यदि कोई हो और
V. पीएपी का पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास।

- विस्थापित होने वाले पीएपी को व्यक्तिगत परामर्श, समूह परामर्श और पंचायत को शामिल करते हुए ग्राम स्तरीय परामर्श आयोजित करके धीरे-धीरे पुनर्वास के लिए तैयार किया जाएगा। पीएपी के साथ परामर्श में पात्रता की व्याख्या करना भी शामिल होगा, सहायता की गणना करने की पद्धति, और शिकायत निवारण समिति से संपर्क करने के लिए तंत्र आदि। प्रभावित परिवारों के परामर्श से एक पुनर्व्यवस्थापन और पुनर्वास कार्य योजना (आरआरएपी) विकसित की जानी चाहिए।
- समुदाय को दी गई प्रतिबद्धताओं और उसके क्रियान्वयन के बीच कोई अंतर नहीं होनी चाहिए। नियोजन उचित आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए और मतभेदों से बचने के लिए क्रियान्वयन के दौरान समय-समय पर परामर्श किया जाना चाहिए।
- उपठेकेदारों के लोगों को प्रदर्शित करने वाली उचित निर्माण वर्दी पहनकर निर्माण श्रमिकों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना चाहिए। निर्माण श्रमिकों को पहचान टैग के साथ भी जारी किया जा सकता है।
- एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड को घूमने-फिरने को नियंत्रित करने के लिए परियोजना स्थल तक पहुँच के लिए स्पष्ट नियम और विनियम स्थापित करने चाहिए। आवारा लोगों के नियंत्रण और/या हटाने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड को स्थानीय पुलिस सेवा से परामर्श करना चाहिए।
- अनौपचारिक बस्तियों का विकास स्थानीय क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए।
- वर्ष के विभिन्न मौसमों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं द्वारा परिवेशी वायु, मौसम विज्ञान, पानी की गुणवत्ता, परिवेश ध्वनि, मिट्टी की गुणवत्ता आदि की नियमित पर्यावरणीय निगरानी किया जाना चाहिए। साल के चार मौसमों में भूजल स्तर और गुणवत्ता की भी निगरानी किया जाना चाहिए।
- एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड क्षेत्र के विकास के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के उपायों और आसपास के क्षेत्र में कल्याणकारी उपायों को लागू करके परिधीय विकास गतिविधियों का कार्य करेगी।

(ग) निर्देश और प्ररूप

समस्त पहलुओं के गहन मूल्यांकन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं -

- परियोजना के आगमन से शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं आर्थिक पहलुओं का आशा अनुकूल विकास होगा,
- पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन के साथ अन्य छोटे-मोटे उद्योग/व्यवसाय आदि के विकसित होने का सुनहरा अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी,
- जिला मुख्यालय से सुदूर होने के कारण वर्तमान में स्वास्थ्य सुविधायें सिमित हैं। परियोजना स्थापित होने से सर्व सुविधायुक्त स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना से सफल समाधान अपेक्षित है।

उच्च स्तर की पुनर्वास कॉलोनी, पार्क, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल सुविधा, स्कूल, ट्रेनिंग सेंटर, खेल के मैदान, शॉपिंग काम्प्लेक्स आदि से लोगों की जीवन शैली एवं सामाजिक जीवन में अनुकूलतम परिवर्तन आएगा।

वन परिक्षेत्र अधिकारी


बनेली

NO
TAHSILDAR
Bade Bacheli

Banjara
SENIOR SCIENTIST & HEAD
Kashi Vikas Kanya Dastawaj

वृहद रूप में यदि इस परियोजना को देखा जाये तो यहाँ से निकलने वाला लोहा देश के विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जावेगा, जिससे देश का औद्योगिक विकास होगा। निश्चित तौर पर यह परियोजना लोक प्रयोजन को पूरा करेगी।


फलतः परियोजना की स्थापना से सकारात्मक पहलुओं का प्रभाव नकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा प्रभावी एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है। अध्ययन के समस्त पहलुओं पर विचार कर उनके क्रियान्वयन एवं नियंत्रण हेतु सार्थक पहल की अनुशंसा की जाती है।



सदस्य

श्रीमती जयमती भास्कर

जनपद सदस्य, जनपद पंचायत, दन्तेवाड़ा



अध्यक्ष

श्री डिप्रेशन बंजारा

वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख, के.वी.के.


Krishi Vigyan Kendra, Dantewada
दन्तेवाड़ा



सदस्य

सुखमती कुजाम

सरपंच, ग्राम पंचायत, धुरली



सदस्य

श्री आशुतोष मांडवा

वन परिक्षेत्र अधिकारी, बडेवचेली



सदस्य

श्री हेमंत चेरपा

खनिज अधिकारी

दन्तेवाड़ा



तहसीलदार

बडेवचेली (संयोजक)



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 572]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 30, 2019/आश्विन 8, 1941

No. 572]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 30, 2019/ASVINA 8, 1941

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा. का. नि. 697(अ).—केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स राष्ट्रीय खनिज विकास निगम - छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (एन. सी. एल.), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड (इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केंद्रीय सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) और मैसर्स छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड (छत्तीसगढ़ सरकार का एक पब्लिक सेक्टर का उपक्रम) का एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से खनिज लौह अयस्क के पूर्वेक्षण अथवा खनन प्रचालन करने के लिए बैलाडिला आरक्षित वन निक्षेप सं. 4, जिला दक्षिणी वस्तर, छत्तीसगढ़ में ऐसे आरक्षित क्षेत्र के नीचे यथानिर्दिष्ट सीमा (अक्षांश और देशांतर द्वारा सीमांकित) के भीतर पड़ने वाले 646.596 हेक्टेयर के क्षेत्र को पांच वर्ष की अवधि के लिए आरक्षित करती है :-

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलाडिला आरक्षित वन, निक्षेप सं. 4 जिला दक्षिणी वस्तर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[फा. नं. 4/2018-एम VI]

निरंजन कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2019

G.S.R. 697(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government, after consultation with the State Government of Chhattisgarh hereby reserves an area of 646.596 hectares in Bailadila reserve forest, Deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh for mineral iron ore for undertaking prospecting or mining operations through M/s National Mineral Development Corporation – Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (NCL), a joint venture of National Mineral Development Corporation Limited (a Central Government Public Sector Undertaking under the administrative control of Ministry of Steel), and Chhattisgarh Mineral Development Corporation Limited (a Government of Chhattisgarh Public Sector Undertaking), for a period of five years lying within the boundary (demarcated by latitude and longitude) of such reserve area as specified below:-

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest, deposit No. 4, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hec	A	81°12'10.40"	18°43'45.70"
			B	81°13'10.80"	18°43'40.90"
			C	81°13'08.80"	18°43'05.90"
			D	81°13'05.50"	18°43'05.80"
			E	81°12'57.30"	18°41'27.70"
			F	81°12'28.80"	18°41'52.90"
			G	81°11'57.70"	18°41'58.70"

[F. No. 4/2/2018-M.VI]

NIRANJAN KUMAR SINGH, Jt. Secy.



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18022021-225248
CG-DL-E-18022021-225248

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]
No. 79]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 18, 2021/माघ 29, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 18, 2021/MAGHA 29, 1942

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2021

सा.का.नि. 119(अ) —केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (नियाम और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 17क की उप-धारा (1क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार से परामर्श में भारत सरकार, खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 697(अ) तारीख 30 सितंबर, 2019 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

2. उक्त अधिसूचना में "खनिज का नाम" शब्दों के साथ आरंभ होकर और "18° 41'58.70" उत्तर आंकड़े के साथ अंत होने वाले के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा:

खनिज का नाम	स्थिति	क्षेत्र	पिलर	अक्षांश	देशांतर
लौह अयस्क	बैलांडला आरक्षित वन, निक्षेप स. 4 जिला मझिण बन्नर, छत्तीसगढ़	646.596 हेक्टेयर	ए	81°12'03.25650"पूर्व	18°43'38.32617" उत्तर
			बी	81°13'04.84428"पूर्व	18°43'38.52758" उत्तर

			नी	81°13'06.24991"पूर्व	18°43'12.30677" उत्तर
			डी	81°13'03.60782"पूर्व	18°43'12.27943" उत्तर
			ई	81°13'07.02661"पूर्व	18°41'26.17920" उत्तर
			एफ	81°12'31.89279"पूर्व	18°41'48.22195" उत्तर
			जी	81°12'02.90192"पूर्व	18°41'50.38796" उत्तर

[फा. सं. 4/2/2018-एम VI]

डॉ. वीणा कुमारी डरमल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2021

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1A) of section 17A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government in consultation with the State Government of Chhattisgarh, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Mines, dated 30th September, 2019 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), *vide* number 697(E), dated the 30th September, 2019, namely:

2. In the said notification, beginning with the words "Name of Mineral" and ending with the figure "18°41'58.70" N", the following shall be substituted

Name of Mineral	Location	Area	Pillar	Longitude	Latitude
Iron ore	Bailadila reserve forest deposit No. 1, District South Bastar, Chhattisgarh	646.596 hects.	A	81°12'03.25650"E	18°43'38.32617"N
			B	81°13'04.84428"E	18°13'38.52758"N
			C	81°13'06.24991"E	18°43'12.30677"N
			D	81°13'03.60782"E	18°43'12.27943"N
			E	81°13'07.02661"E	18°41'26.17920"N
			F	81°12'31.89279"E	18°41'48.22195"N
			G	81°12'02.90192"E	18°41'50.38796"N

[F. No. 04/02/2018-M.VI]

Dr. VEENA KUMARI DERMAL, Jt. Secy.

परिशिष्ट बी-3

तपाबंध 7

| नियम 8 (ज) देखें |

022139U

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (जों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : ~~श. राजेश्वर ठाकुर~~
2. पिता/भाता का नाम : श्री सुभाष ठाकुर
3. आश्रितों का नाम : श्रीमती अश्विनी ठाकुर
4. पता : बुधराजपुरा भांसी
5. ग्राम : भांसी
6. ग्राम पंचायत : भांसी
7. तहसील/तालुका : जेठे जेठे ली
8. जिला : राजेशपुरा
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : छोटिया
10. क्षेत्रफल : Rf-18-24 रकबा - 325.710 हे. में से 2.006 हे.
11. खसरा/कंपाउंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणाय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

वन मंडल अधिकारी
दन्तेवाड़ा वन मण्डल
दन्तेवाड़ा

क. जिला कलेक्टर
(जिला दक्षिण बस्तर)
दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

सहायक आयुक्त और विकास
आदिवासी विकास
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

नोट :- यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : श्री हिरजा बट्टी
2. पिता/माता का नाम : स्व. सुब्बू
3. आश्रितों का नाम : श्री कृष्णा कुन्डे बट्टी
4. पुरा : बुधराम प्रसाद कास्ती
5. ग्राम : ...
6. ग्राम पंचायत : ...
7. तालुका/तहसील : ...
8. जिला : ...
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : ...
10. क्षेत्रफल : ...
11. खसरा/कचिटेमेट सं. सहित प्रमुख आधिकारिक द्वारा सीमाओं का विवरण

यह हक दावे भूमि के कितने अधिनियम की धारा 4(4) के अधीन अधिसूचित या अतिसूचित है
हम, अधीनस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ प्रदेस के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिनियम की धारा 4(4) के लिए हस्ताक्षर करते हैं

वन अधिकारी
दन्तेवाड़ा वन मण्डल
दन्तेवाड़ा

जिला दक्षिण छत्तीसगढ़
दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

सहायक अधीनस्थ अधिकारी विकास
आदिवासी अधिकार
जिला दक्षिण छत्तीसगढ़

नोट :— यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा अर्पित किया जाएगा

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें]

0221392

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : श्री सुधराम अलरा
2. पिता/माता का नाम : स्व. हुंगा
3. आश्रितों का नाम : श्रीमती बुने, सोरू
4. पता : पटेलपारा भांसी
5. ग्राम : भांसी
6. ग्राम पंचायत : भांसी
7. तालुका/तालुका : लोडे लोडेसी
8. जिला : रत्नेवाड़ा
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : जाडिया,
10. क्षेत्रफल : 117-18-4 दखना - 326.90 हे. के से 2.10 हे.
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दावा योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है -
नम. अधोहस्ताक्षरों द्वारा शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्ट करने के लिए हस्ताक्षर किये गए

वनमंडलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा वन मण्डल
दन्तेवाड़ा

सहायक वन अधिकारी
जिला दक्षिण वस्तर
दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

सहायक वन अधिकारी
आदिवासी विकास
विभाग दक्षिण वस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

नोट :- यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[नियम 8 (ज) देखें]

0221395

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : श्री राजू शर्मा
2. पिता/माता का नाम : श्री कुम्भा शर्मा
3. आश्रितों का नाम : श्रीमती ऊरली
4. पता : भांसी
5. ग्राम : भांसी
6. ग्राम पंचायत : भांसी
7. तहसील/तालुका : जडे पंचेरी
8. जिला : रणेशपुर
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : नहीं
10. क्षेत्रफल : 1824 रकबा - 325.710 हे. में से 0.40 हे.
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण :

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अभोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों की पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं.

मंडलीय वन अधिकारी
वनमंडलाधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमण्डल
दन्तेवाड़ा

कलेश्वर कलेक्टर

जिला दक्षिण बस्तर
दन्तेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

सहायक जिलाधिकारी (दक्कन विकास)
आदिवासी विकास
द्वितीय क्रम का वन अधिकारी

नोट :- यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

[विभाग R (ज) देखें]

0189405

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : सुदर्शन
श्रीजा
2. पिता/भाता का नाम :
3. आश्रितों का नाम :
4. पता : गांशी
5. ग्राम : गांशी
6. ग्राम पंचायत : भांशी
7. तहसील/तालुका : दन्तवाड़ा
8. जिला : दन्तवाड़ा
9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : मुरिया
10. क्षेत्रफल : 1.61 हे.
11. खेती/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सीमाचिह्न द्वारा सीमाओं का विवरण : 692 मै.से

यह हक दाय योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरी छत्तीसगढ़ शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों को पूर्ण करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

महनीय वन अधिकारी

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

जिला कलेक्टर

नोट :- यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

परिशिष्ट बी-3

उपाबंध-2

(नियम 8 (ज) देखें)

018938'

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

1. वन अधिकारों के धारक (कों) का/के नाम (पति या पत्नी सहित) : - श्री.मा
2. पिता/पत्नी का नाम : मासा
3. अधिकारों का नाम :
4. पता : - आली
5. ग्राम : - आली
6. ग्राम पंचायत : - आली
7. तहसील/तालुका : दन्तेवाड़ा
8. जिला : दन्तेवाड़ा
9. अनुचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासी : कुरिमा
10. क्षेत्रफल : 1.469 हे०
11. खसरा/कंपार्टमेंट सं. सहित प्रमुख सामाचिन्ह द्वारा सीमाओं का विवरण : 692 भू.से

यह हक दाव योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

हम, अधोहस्ताक्षरों द्वारा शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों को पुष्टि करने के लिए हस्ताक्षर करते हैं।

मंडलीय वन अधिकारी
राज्य
भारत

सहायक आयुक्त
सहायक आयुक्त आदिवासी-विकास
जिला...

जिला कलेक्टर

नोट :- यह प्रयत्न राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा.

संख्या: 6/2019-2020, एन.ए.डी.ए. - 111-1/2019-2020-6,00,000.

अधिभाग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- 1. इन अधिकारों के धारक (जो) का के नाम (पति या स्त्री सहित) : देवा
- 2. निम्नलिखित का नाम : देहा
- 3. आइसो का नाम :
- 4. पत्नी :
- 5. पुत्र :
- 6. पुत्र पत्नी :
- 7. कर्त्ता/प्राप्तकर्ता :
- 8. दिनांक :

आली
आली
आली
रतिया
रतिया
रतिया

- 10. परिच्छेद : 8-534
- 11. सहायक/रजिस्ट्रार से माहित प्रमुख अधिनियम के अधीन का दिनांक : 1942

यह दस्तावेज सिद्ध है कि अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन आकर बनी है।
 यह अधिनियम के अधीन आकर बनी है।

परिशिष्ट बी-3
 अधिनियम
 1942

यह दस्तावेज गलत है।

अधिभोग के अधीन वन भूमि के लिए हक

- 1. इस अधिकांश के धारक (को) का नाम (पति या पत्नी सहित) : कोया
- 2. पत्नी का नाम : सुभा
- 3. आसितो का नाम : गोली
- 4. पता : गोली
- 5. ग्राम : गोली
- 6. ग्राम पंचायत : गोली
- 7. ~~सहायक/तालिका~~ दन्तेवाडा
- 8. ~~जिला~~ दन्तेवाडा
- 9. अनुसूचित जनजाति/अन्य परंपरागत वन निवासियों : कोया
- 10. क्षेत्रफल : 2.025 हे०
- 11. खसरा का शर्टमेंट सं. सहित प्रमुख सोमाचिन्ह द्वारा सोमाओं का विवरण : 692 भेसे

यह हक दाव योग्य है किंतु अधिनियम की धारा 3 को उपधारा (4) के अधीन अन्यसंक्राम्य या अंतरणीय नहीं है :-

इस अधिकांशकारण छानोसगद शासन के लिए और उसकी ओर से उपरोक्त वन अधिकारों को पूर्ण करने के लिए हमारा करव है।

वन अधिकारी

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास

जिला कलेक्टर

नोट :- यह प्रपत्र राज्य शासन द्वारा प्रदान किया जाएगा।

वर्ष: 2022-2023

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतीनी (आसामीवार)

Document Id -202303256105000033

भूमि का खोरा हेमटयर में एन करी का खोरा रूप में पैगो में

जिला : दन्तवाडा

तहसील : बड़वेली

रा नि : बड़वेली

हस्ता : 00001

ग्राम : भासी



खतों के खोरे	खतों में शामिल प्रत्येक भू-स्वामि का नाम	प्रत्येक भू-स्वामि के क्षेत्रफल और खतों का कुल क्षेत्रफल	किशतों के खोरे	घातू और बकाया माँग			वसतियाँ			खजाने में जमा करने के खोरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसतियाँ			जारी की गई दस्तावेजों के खोरे				
				भू-राजस्व	उपकर	योग	भूगतता न करने वाले व्यक्ति का नाम	भूराजत की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व		उपकर	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
(2) नाम - मंडो पति हुंगा वगै- अनु जनजाति जाति- माडिया पता- बुधरान पारा, भास्ती स्वामित्व भूमिस्वामी - कृति भूति																							


 राजेश कुमार
 प.स. ब. 8/भासी



फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का व्योरा हेक्टर में एवं करो का व्योरा रुपये पैसों में

Document Id -20230325610500033

ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बडे बरेली

तहसील : बडेबरेली

जिला : दन्तोबाड़ा

खतौ के व्योरे	भू-खामो या शासकीय पट्टेदार का नाम	खतौ में शामिल पत्येक भू-मापन क्र. का कुल क्षेत्रफल	पत्येक भू-मापन क्र. का क्षेत्रफल और खतौ का कुल क्षेत्रफल	किरतों के व्योरे	घातू और बकाया योग				वस्तुतः				खजाने में जमा करने के व्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वस्तुतः			जारी की गई बनावत आदेशिका के व्योरे	
					भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घातान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
76	(1) नाम - कुजानी हुमा पिता बोज बर्न- अनु जमनाति जति- मडिया पत्न- सुपुत्रम भार, भागती स्थानित भूमिस्थानी - कप भूमि	57/1/953 B	15.2970		6.1200																		रूप पुरितक 2461444 नामातरण क्रमांक 6105103/131222 06925 आदेश व्यक्तक पूर्व पारित आदेश / 22 Nov 2022

दीपक मण्डली
पट्टेदार
प. नं. -----

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष 2022-2023

भूमि का खोरा हेक्टर में एल करो का खोरा रुपये पैसे में
Document Id -20230325610500033

ग्राम : भासी

रा ति : बड़े बचेनी

तहसील : बड़ेबचेनी

जिला : दलबंगा

हल्का : 00001



खाते के ब्यारे	खाते में शामिल प्रत्येक भू-आपन क्र. का नाम	प्रत्येक भू-आपन क्र. का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किरीतो के ब्यारे	घातू और बकाया मांग			व्यक्तियों			खजाने में जमा करने के ब्यारे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी व्यक्तियों			जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यारे					
				भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर		योग				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
(3)नाम - कोन्दा पिता इच्वा वर्ग- अनु जनजाति जाति- माडिया पता- पुपरान पार, भान्सी स्वामित्व भूमिस्वामी - कुंठ भूमि																								भूण पुस्तिका 2461444

रीणा मण्डली
पुस्तिका 2461444
प.स.स.



फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

Document Id -20230325610500033

भूमि का ब्योरा हेक्टर पर मे एवं करी का ब्योरा रुपये पैसो मे

ग्राम : भासी

हल्का : 00001

रा नि : बडे बचेली

तहसील : बडेबचेली

जिला : दन्तवाडा

खाते के ब्योरे	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का प्रत्येक भू-मापन क्र. का	प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किरतो के ब्योरे	घालू और बकाया मांग			वस्तियों			खजाने मे जमा करने के ब्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी		वर्ष की समाप्ति पर बाकी वस्तियों			वर्ष की गई बलात आदेशिका के ब्योरे					
				भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग		भू-राजस्व	उपकर	योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
(5)नाम - जयो पति दुला वर्ग- अनु जनजाति जाति- माडिया स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																							वृण पुस्तिका-2461444

चीफा सण्डावी पंचवती प.ह.म.-----

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का ब्योरा हेक्टर में एवं करो का ब्योरा रुपये पैसे में

Document Id -20230325610500033

ग्राम : भात्सी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : टन्तेबाड़ा

खतों के ब्योरे	खतों में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का प्रत्येक भू-मापन क्र. का कुल क्षेत्रफल	प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्षेत्रफल और खतों का कुल क्षेत्रफल	किरतों के ब्योरे	चाहू और बकाया माँग			वसूलियाँ			खजाने में जमा करने के ब्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी		वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ		वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ						
				भू-राजस्व	उपकर	योग	भूगता न करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगता न करने वाले व्यक्ति का नाम	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर					योग	भू-राजस्व	उपकर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
(9)नाम - गुडो पति हूगा वर्ग- अनु- जनजाति जाति- माडिया पता- बुधराम पारा, भान्सी स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																							

दीनार साहनी
पञ्चायती
प.ह.नं.-----

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230325610500033

भूमि का न्योन क्षेत्रघर में एव करो का व्योन रूपसे धरती में


ग्राम : भानी

रकबा : 00001

रा नि : बडे बचेली

तहसील : बडेबचेली

जिला : दन्तेवाडा



खतौ के ब्यारे	खतौ मे	पत्थेक	किरती के ब्यारे	घात और बकाया मॉग			बर्तुतियां					खजाने में जमा करने के ब्यारे		वर्ष की समाप्ति पर बर्तुतियां		जारी की गई बलान आदेशिका के ब्यारे						
				शुजात न करने वाले व्यक्ति का नाम	शुजात की तारीख	शुजात की तारीख	उपकर योग	उपकर अन्वय	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	पालन क्रमांक	वर्ष की समाप्ति पर बर्तुतियां	उपकर योग								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
शु-बागी या शाराकीय पट्टेदार का नाम	खतौ मे शामिल पत्थेक	शु-जापन फ.का क्षेत्रफल और खतौ का कुल क्षेत्रफल	किरती के ब्यारे	शु- राजस्व	उपकर योग	शुजात न करने वाले व्यक्ति का नाम	शुजात की तारीख	शु- राजस्व	उपकर अन्वय	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	पालन क्रमांक	शु- राजस्व	उपकर योग	शु- राजस्व	उपकर योग	शु- राजस्व	उपकर योग	शु- राजस्व	उपकर योग	जारी की गई बलान आदेशिका के ब्यारे
(10)जामा - पायके पति कानदा वमो- अनु- जनजाति जति- भाडिया पला- गुपथम पारा, आन्धी स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि																						शुजात पुरिनका:2461444

दीपा शर्मा
प.सं.व. 01/आरसी



फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

Document Id -20230325610500033

भूमि का व्योरा हेक्टर में एव करो का व्योरा रुपये पैसो में

ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बडे बचेली

तहसील : बडेबचेली

जिला : दन्तवाडा

खतों के ब्योरे	खतों में शामिल प्रत्येक भू-आपन का क्र. नाम	प्रत्येक भू-आपन के क्षेत्रफल और खतों का कुल क्षेत्रफल	किरतों के ब्योरे	चाहू और बकाया मांग			वसूलियाँ			खजाने में जमा करने के ब्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			वर्ष की गड़ बलात आदेशिका के ब्योरे				
				भू-राजस्व	उपकर	योग	भूगलान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर		योग			
(1) नाम - लचणु पिता दुता बर्ग- अनु जनजाति जाति, माडिया पता- बुधगामपारा भांसी त्वामित् भूमिस्वामी कृषि भूमि	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
																							भूण पुस्तिका 2461444

शीघ्र सम्पत्ती
पुस्तिका
प.ड.ई. 2461444

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतीनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

Document Id -20230325610500033

भूमि का द्योरा हेक्टर पर से एव करो का द्योरा रुपये पैसे में

ग्राम : शारंगी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बघेली

तहसील : बड़ेबघेली

जिला : दन्तेवाडा



खती के द्योरे	घात और बकाया मांग				वसतियां		खतीने में जमा करने के द्योरे		वर्ष की समाप्ति पर		वर्ष की समाप्ति पर		जारी की गई बलात आदेशिका के द्योरे											
	शुल्क	उपकर	योग	शुभला न करने वाले व्यक्ति का नाम	शुभला की तारीख	शुल्क राजस्व	उपकर अवकाश	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घातान क्रमांक	शुल्क राजस्व		उपकर	योग	शुल्क राजस्व	उपकर	योग						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
(12)नाम - हनुमा पिता दुला वर्ग- अनु जनजाति जाति- माडिया पता- दुधरामपारा शांसी स्वामित्व भूमिस्वामी - हनुमि भूमि	खती में शांति प्रत्येक शुभापन क्र. का और खती का कुल क्षेत्रफल	प्रत्येक शुभापन क्र.का क्षेत्रफल और खती का कुल क्षेत्रफल	किशती के द्योरे	शुल्क राजस्व	उपकर	योग	शुभला न करने वाले व्यक्ति का नाम	शुभला की तारीख	शुल्क राजस्व	उपकर अवकाश	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घातान क्रमांक	शुल्क राजस्व	उपकर	योग	शुल्क राजस्व	उपकर	योग	शुल्क राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के द्योरे

श्रीगणेशाय नमः
प.स.व.ए.शारंगी

क्रमांक
गुस्तिना:2461444

फॉर्म बी-1 किरतवदी खतीनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का द्योरा हेतुपर में एव करो का द्योरा रुपये पैसे में

Document Id -20230325610500033



ग्राम : भासी

फ्लाना : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : दन्तवाडा

खतीने के द्योरे	खतीने में शासकीय पट्टेदार का नाम	खतीने में शासकीय पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टेदार का नाम	खतीने के द्योरे	श्री. राजस्व	उपकर योग	शुभला करने वाले द्योरे का नाम	शुभला की तारीख	वसूलियाँ			खतीने में जमा करने के द्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			वर्ष की गई बलात आदेशिका के द्योरे			
										श्री. राजस्व	उपकर योग	शुभला करने वाले द्योरे का नाम	श्री. राजस्व	उपकर योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	खतीने के द्योरे	श्री. राजस्व	उपकर योग	वर्ष की समाप्ति पर बाकी	श्री. राजस्व		उपकर योग		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)			
(14) नाम - कमल पिता भीमा वर्ग- अनु जनजाति जाति- गड़िया पता- तुपरापारा भासी स्वाभित्व भूमिस्वामी - कृषि भूमि										रकम जमा करने वाले का नाम			जमा करने की तारीख			खतीने के द्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			रकम पुस्तिका: 2461444

दीनार सुबेदारी
 प. र. ब. भासी



फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

Document Id -202303256105000033

भूमि का द्वारा हेक्टर में एव करो का द्वारा रुपये पैसा में

ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेनी

तहसील : बड़ेबचेनी

जिला : दन्तेवाड़ा

खाता क्रमांक	खाते के व्यौरे	खाते में शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का कुल क्षेत्रफल	प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किरतों के व्यौरे	घातू और बकाया माँग			वसूलियाँ			खजाने में जमा करने के व्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ	वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ	वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ				
					भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर				योग	भू-राजस्व	उपकर	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	भूण पुरिमा:2401444
	(15)नाम - अनिल पित्त भीमा वर्ग- अनु जनजाति जाति- माडिया पत्त- बुधरामपारा भारी स्वाभित्व -भूमिस्वामी -शुद्ध भूमि	58	3.8120																				

श्रीपत बरबारी
प.ह.व.

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतीनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का व्योरा हेक्टर में एवं करो का व्योरा रुपये धैरो में

Document Id -20230325610500033

ग्राम : भंसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचरी

तहसील : बड़ेबचरी

जिला : दन्तेवाड़ा



खाने के व्योरे	खतीनी में शासकीय परदेदार का नाम	खतीनी में शासकीय परदेक क्र. का क्र.	परदेक क्र. का कुल क्षेत्रफल	किरीतों के व्योरे	घान् और बकाया योग			वसूतियाँ			खाने में जमा करने के व्योरे		वर्ष की समाप्ति पर बाकी		वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूतियाँ		जारी की गई बलात आदेशिका के व्योरे						
					शुल्क	उपकर	योग	भुगतान की तारीख	शुल्क	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घालान क्रमांक	शुल्क	उपकर		योग					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		59	6.6770																				
		60/1/क	14.4070																				
		62	0.5860																				
		71/1/क	0.7800																				
कुल		6	41.5590		6.1200	0	6.1200																

Digitally signed by VEENA MANDAVI
 Date: 2023.03.25 17:58:58 +05:30
 Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR



फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष 2022-2023

ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बघेली

तहसील : बड़ेबघेली

जिला : दन्तवाड़ा

20230325610500034

भूमि का ब्यौरा हेबटेयर में एच करों का ब्यौरा रुपये पंजी में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण					प्रयोजन जिसके लिए भू-नालस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मालिकी कास्तरकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान गा पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कीकियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	(6)				
571/9538	15.2970	(1) कुजानी हुंरा	पिता बाडा	माडिया	दुधराम पारा, भान्सी	कृषि ₹ 6.12	भूमिस्वामी - कृषि भूमि			(10)
		(2) मंडा	पति हुंरा	माडिया	दुधराम पारा, भान्सी					
		(3) केन्दा	पिता डब्बा	माडिया	दुधराम पारा, भान्सी					
		(4) बंदे	पति भीना	माडिया	दुधराम पारा, भान्सी					
		(5) जवा	पति डुला	माडिया						

दीपा मण्डवी
पञ्जी
प.ड.नं.-----

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)



ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : दन्तेवाड़ा

20230325610500034

भूमि का व्योरा हेक्टेयर में एवं नये का व्योरा रुपये धरो में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके लिए भूराजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई है	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरबी कास्तरकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाज का क्षेत्रफल	कैशियर
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(6) मड़ो		पिता भंगू	माडिया	बुधराम पारा, भान्सी				
	(7) चमर		पिता हुंगा	माडिया	बुधराम पारा, भान्सी				
	(8) पडरू		पिता हुंगा	माडिया	भांसी बुधरामपारा				
	(9) गुडो		पति हुंगा	माडिया	बुधराम पारा, भान्सी				
	(10) पायके		पति कौन्दा	माडिया	बुधराम पारा, भान्सी				

दीया
प.ड.व.दा.गासी

कृषि वर्ष 2022-2023

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : दन्तवाड़ा

202303256105000034



भूमि का ब्यौरा हेक्टयर में एवं कतरो आ ब्यौरा रुपये में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण					प्रयोजन जिसके लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मोरूबी कारस्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान	(6)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	(11) लच्छु		पिता दुला	माडिया	बुधरामपारा भांसी					
	(12) हडमा		पिता दुला	माडिया	बुधरामपारा भांसी					
	(13) सुक्ल		पिता दुला	माडिया	बुधरामपारा भांसी					
	(14) कमात्		पिता भीमा	माडिया	बुधरामपारा भांसी					
	(15) अनिल		पिता भीमा	माडिया	बुधरामपारा भांसी					

वीणा मण्डली
पट्टेदार
प.स.व.-----

कृषि वर्ष: 2022-2023

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

20230325610500034

जिना : दन्तेवाडा

तहसील : बड़बचेली

रा नि : बड़ बचेली

हल्का : 00001

शारा : भांसी

भूमि का दस्तावेज संख्या में एच ब्लॉक का दस्तावेज रूप में है।



क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खतो में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके लिए भू-यजस्व निर्धारण किया गया है तथा भूयजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मालिकी कास्तरकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कीफियत	
		नाम	पिता या पति का नाम	जति	निवास स्थान					
71/1/क	0.7800	खसरा नंबर - 57/1/9538 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि	(8)	(9)	(10)			

वीणा मण्डावी
प.उ.कं.-----




छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 24/04/2023 05:39:31 PM

खसरा नक्शा

न - भांसी, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़े बचेली , जिला - दन्तेवाड़ा



मापमान 1:5500

खसरा नंबर : 60/1/क
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 14.4070 हेक्टेयर
रकबा(वर्ग फुट) : 1550756.5737
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 14.4070

नाम : कुजामी हुंगा (एवं 14 अन्य)
पिता का नाम : दोडा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा

दीप्ता कण्डावी

प.ह.न.-----



ग्राम : शारी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बवेली

तहसील : बड़ेबवेली

जिला : दत्तवाड़ा

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

भूमि का द्यारा हेक्टर में एवं करो का द्यारा रुपये धैसो में

Document Id -20230325610500017

खतौ के द्यारे	भूस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खतौ में शामिल पट्टेक भू-मापन क्र. का नाम	पट्टेक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खतौ का कुल क्षेत्रफल	किरतों के द्यारे	घातू और बकाया भाग			वसूलियाँ			खतौने में जमा करने के द्यारे		वर्ष की समाप्ति पर		वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ		जारी की गई बलात आदेशिका के द्यारे					
					भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर		योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
(2)नाम - मुमाटे पिता देवा सकल वगै- अनु जनजाति जाति- मुरिया पता- सा देह स्वामित्व -भूमिस्वामी कृषि भूमि																						

भूगण पुस्तिका: 1926053

दीर्घा

प.स.नं. २४ शारी

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

वर्ष: 2022-2023

Document Id -20230325610500017

भूमि का ब्योरा हेक्टर में एव करो का ब्योरा रुपये पैसो में

ग्राम : भासी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिना : दन्तेवाड़ा



खतों के ब्योरे	खतों में शामिल प्रत्येक भू-आपन क्र. का क्षेत्रफल और खतों का कुल क्षेत्रफल	किशतों के ब्योरे	घाटू और बकाया माँग			वसूलियाँ			खजाने में जमा करने के ब्योरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			जारी की गई बलात आदेशिका के ब्योरे					
			भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भूगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व		उपकर	योग			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
(3) नाम - सोमारी पति भीमा वर्ग- अमृ जनजाति जाति- सुरिया पता- सा. देह स्वामित्व भूमिस्वामी - कृषि भूमि	67/2	0.2430																					
																							भूण पुस्तिका: 1926053 राजपण्डरी प. उ. नं. 01/रासा

फॉर्म बी-1 किरतबंदी खतौनी (आसामीवार)

Document Id -20230325610500017

भूमि का व्योरा हेक्टर में एवं करो का व्योरा रुपये पैसे में

ग्राम : भासी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : दन्तवाड़ा




खतौ के व्योरे	खतौ में शासकीय पट्टेदार का नाम	खतौ में शासकीय पट्टेदार का क्र. का क्र.	पट्टेदार का नाम	किरतों के व्योरे	घान् और बकाया मांग			वस्तुलियाँ			खजाने में जमा करने के व्योरे		वर्ष की समाप्ति पर			वर्ष की समाप्ति पर		जारी की गई बन्नात आदेशिका के व्योरे					
					शु. राजस्व	उपकर	योग	भुगतान की तारीख	शु. राजस्व	उपकर	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	घालान क्रमांक	शु. राजस्व	उपकर	योग		शु. राजस्व	उपकर			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
		68/1	0.9050																				
		71/1/1/1	3.0870																				
		71/4	0.3040																				
कुल							5.2000	0	5.2000														

(Handwritten Signature)
वीणा मन्दावी

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.25 17:43:07 +05:30
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

फॉर्म पी-11 खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2022-2023



ग्राम : भांसी

हल्का : 00001

रा नि : बड़े बचेली

तहसील : बड़ेबचेली

जिला : दन्तवाड़ा

20230325610500018

भूमि का दर्जा हैक्टयर में एवं करो का दर्जा रुपये पैसों में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाली में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				पयोजन जिसके लिए भू-योजना निर्धारण किया गया है तथा भूयोजना नियत	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मालिकी कास्तरकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैथियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
71/1/अ	3.0870 (332281.91 sq.ft)	खसरा नंबर - 57/20 के अनुसार	कृषि ₹ 2.60	भूमिस्वामी - कृषि भूमि					
71/4	0.3040	खसरा नंबर - 57/20 के अनुसार	कृषि ₹ 0.00	भूमिस्वामी - कृषि भूमि					

श्रीपुष्पा लखवारी
पञ्चवारी
प.स.व. ऑफिसरी

टीप - फारम विवरण तथा फसल रूप की जानकारी कर्म.पी.11 खसरा खण्ड-2 से प्राप्त होगा।

पृष्ठ क्रमांक: 2/2

Digitally signed by VEENA MANDAVI
Date: 2023.03.25 17:43:26 +05:30
Reason: Certified to be the TRUE COPY of the digitally published ROR




छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06:38:52 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - भांसी, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़े बचेली , जिला - दन्तेवाड़ा



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 68/1
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.9050 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.9050

नाम : भीमा (एवं 2 अन्य)
पिता का नाम : सुकलू
पता : सा.देह

(Signature)
वीणा मण्डावी
पटवारी
प.ह.न. 01/भांसी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा




छ. ग. शासन राजस्व विभाग

दिनांक : 23/04/2023 06:39:58 PM

खसरा नक्शा

ग्राम - भांसी, प.ह.न. - 00001 , राजस्व निरीक्षक मण्डल - बड़े बचेली , तहसील - बड़ेबचेली , जिला - दन्तेवाडा



मापमान 1:4000

खसरा नंबर : 71/4
धारणाधिकार : भूमिस्वामी - कृषि भूमि
रकबा : 0.3040 हेक्टेयर
सिंचित रकबा : 0.0000
असिंचित रकबा : 0.3040

नाम : भीमा (एवं 2 अन्य)
पिता का नाम : सुकलू
पता : सा.देह


दीपक मण्डावी
पर्यवेक्षक
प.ह.न. भांसी

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
व पदमुद्रा